ISSN-0971-8397

योजना

सितम्बर 2023 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 22

सुशासन और सुधार

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

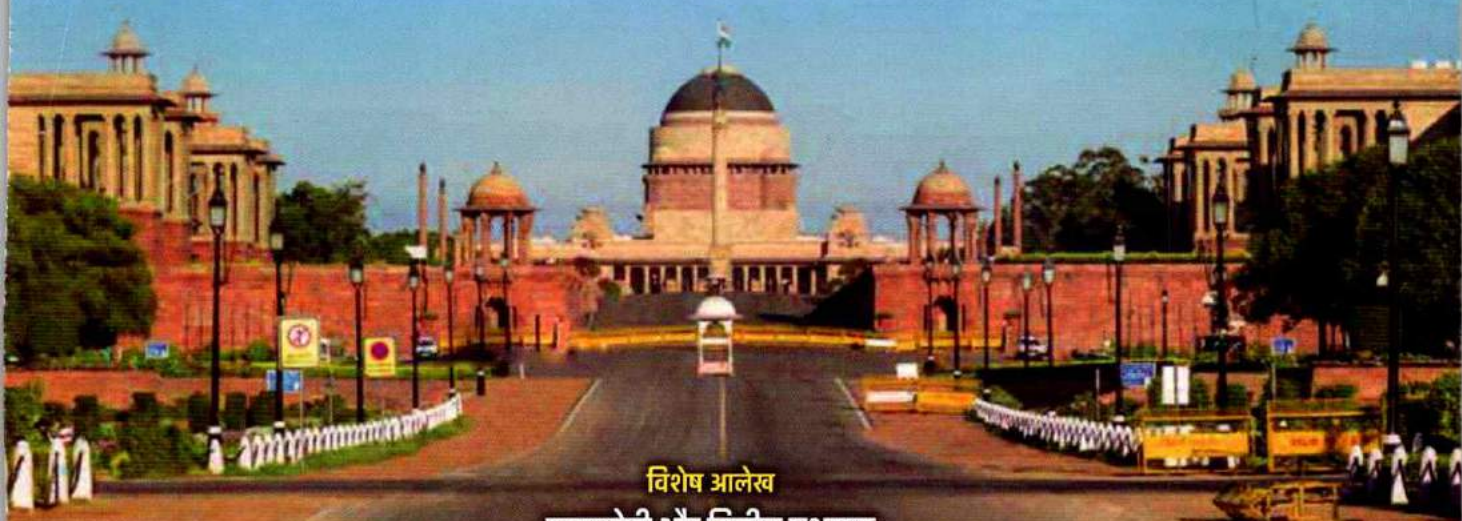

विशेष आलेख

जवाबदेही और वित्तीय प्रशासन

गिरीश चंद्र मुर्मू

प्रमुख आलेख

क्षमता-निर्माण के दृष्टिकोण से सिविल सेवा में सुधार

श्रीनिवास कातिकिथला

फोकस

उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा करना

रवनीत कौर

ELITE IAS
(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US

8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION

www.eliteias.in

न्याय बन्धु

मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी या भीख मांगने के शिकार, महिलाएं या बच्चे, दिव्यांग और अन्य पात्र श्रेणियों सहित हाशिए पर या वंचित आवेदकों को न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।

न्याय बंधु एक नि:शुल्क कानूनी सेवा है जिसे पंजीकृत वकीलों को पंजीकृत लाभार्थियों से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह योजना ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को स्वैच्छिक कानूनी सलाह देता है जो कानूनी सलाह लेने में असमर्थ हैं और/या कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार, जिन लोगों को कानूनी सहायता की वास्तविक आवश्यकता होती है उन्हें मुफ्त में या न्यूनतम लागत पर वकीलों द्वारा कानूनी सहायता उपलब्ध होती है जिससे उन्हें अपनी कानूनी समस्याओं का सार्थक रूप से समाधान का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम के तहत अपना समय और सेवाएं स्वेच्छा से देने में रुचि रखने वाले पेशेवर अधिवक्ताओं को मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले योग्य लाभार्थियों से जोड़ा जाता है। न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और इसे उमंग प्लेटफॉर्म पर भी शामिल किया गया है।

प्रो बोनो शब्द जो 'प्रो बोनो पब्लिको' का संक्षिप्त रूप है एक लातिनी शब्द है जिसका मतलब है 'सार्वजनिक हित के लिए।' असल में यह शब्द विशिष्ट रूप से क़ानून के पेशे में इस्तेमाल होता है - जिसका संदर्भ ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को क़ानूनी सलाह देने की पद्धति से है जो क़ानूनी सलाह का ख़र्च उठाने में अक्षम हैं और/या क़ानूनी सहायता हासिल नहीं कर सकते। क़ानूनी सहायता के असली ज़रूरतमंदों का प्रतिनिधित्व इस तरह वकीलों द्वारा नि:शुल्क या न्यूनतम शुल्क में किया जाता है - जिससे उन्हें अपनी क़ानूनी समस्याओं को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का मौक़ा मिलता है।

प्रो बोनो कानूनी सेवाएं नि:शुल्क हैं। न्याय विभाग कार्यक्रम के तहत पंजीकृत प्रो बोनो एडवोकेट पंजीकृत आवेदक को दी गई कानूनी सलाह या प्रतिनिधित्व के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। हालांकि, आवेदक और वकील के बीच आपसी समझ के आधार पर आवेदक को फोटोकॉपी, पोस्टिंग और टाइपिंग शुल्क जैसे आकस्मिक खर्च वहन करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

आवेदक द्वारा दर्ज किया गया केस दो मापदंडों के मिलान के आधार पर एक वकील को सौंपा जाता है:

1. अभ्यास का क्षेत्र/मामले की श्रेणी - दीवानी या फौजदारी।
2. प्रैक्टिस कोर्ट/न्यायालय जहां मामला लंबित है - न्यायालय का नाम।

प्रोग्राम में स्टोर किये गए अधिवक्ताओं के डाटाबेस की छंटाई के माध्यम से यह मिलान स्वचालित रूप से किया जाता है।

भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- **रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय:** न्याय बंधु पैनल के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना। वकीलों के पंजीकरण, मंजूरी का प्रबंधन करना और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना। उच्च न्यायालय स्तर पर इस पैनल की गतिविधियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक प्रभारी नियुक्त करना। न्याय बंधु पैनल की गतिविधियों के बारे में नियमित आधार पर अनुकुलन और जागरुकता सत्र आयोजित करना।
- **न्याय विभाग:** इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए समन्वय और सुविधा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। उच्च न्यायालय के समन्वय से त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित करना और सभी हितधारकों को प्रस्तुत करने के लिए एक समेकित छमाही रिपोर्ट तैयार करना।
- **सीएससी ई-गव:** न्याय विभाग के समन्वय में निगरानी और रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए न्याय बंधु पैनल के वेब-आधारित एप्लिकेशन के डिजाइन, विकास, संचालन और रखरखाव में सहायता प्रदान करना। प्रक्रियाओं, कार्यों और ट्रिगर्स के लेखन, डाटाबेस का रखरखाव करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और इस एप्लिकेशन के उपयोगकर्ता मैनुअल को तैयार करने में सहायता करना। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी www.probono-doj.in पर उपलब्ध है। ❑

ISSN-0971-8397

योजना

वर्ष : 67
अंक : 09

सितम्बर 2023
भाद्रपद-आश्विन, शक संवत् 1945

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 60

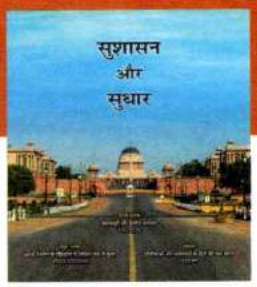

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

संपादक
डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ
आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-57** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें –
pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

प्रमुख आलेख

6 क्षमता-निर्माण के दृष्टिकोण से सिविल सेवा में सुधार
श्रीनिवास कातिकिथला

विशेष आलेख

11 जवाबदेही और वित्तीय प्रशासन
गिरीश चंद्र मुर्मू

17 संसदीय समितियां कार्यक्षेत्र और भूमिका को सुदृढ़ बनाना
अलाया पुरेवाल, एमआर माधवन

24 भारत का विधि आयोग

27 प्रत्यक्ष कर सुधार
कमलेश चंद्र वार्ष्णेय

फ़ोकस

33 उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा करना
रवनीत कौर

38 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों को मज़बूती प्रदान करना

41 लोकतंत्र को मज़बूत करने में संवैधानिक निकायों की भूमिका
प्रोफेसर जीएस बाजपेयी, डॉ राघव पांडे

45 प्रशासनिक सुधार
वी श्रीनिवास

51 महिला सशक्तीकरण हाल के सुधार
रेखा शर्मा

स्थायी स्तंभ

22 क्या आप जानते हैं?
डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023

आगामी अंक : आधारभूत संरचना

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 37

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

Wait is over!

Rush to grab your copy

Price: ₹ 205.00
Spl. Price
₹ 184.50

Now available

at

www.publicationsdivision.nic.in

&

Book Gallery

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003

For business related queries on this book,
contact: 011-24365609 or businesswng@gmail.com.

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

संपादकीय

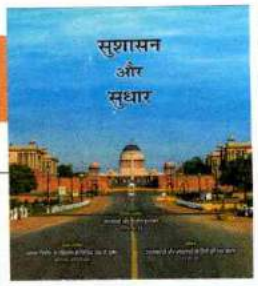

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

शासन का मूल भाव, किसी राष्ट्र को समृद्धि और सद्भाव की ओर ले जाने की कला है। भारत की विविधतापूर्ण और जीवंत छवि में, शासन की यात्रा चुनौती और अवसर दोनों रही है। पिछले कुछ वर्षों में, देश ने सुधारों की एक शृंखला देखी है जिसका उद्देश्य इसके शासन परिदृश्य को फिर से परिभाषित करना, विकास को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है।

सुधार, विकासशील समाज का एक अपरिहार्य पहलू हैं। चाहे वे सामाजिक मांगों से या फिर वैश्विक मानदंडों में बदलाव से प्रेरित हों, प्रगति के पथ पर अग्रसर और आज के समाज के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा अवसरों को भुनाने के लिए ये सुधार महत्वपूर्ण हैं। इन सुधारों में चुनावी प्रणालियों से लेकर सामाजिक नीतियों तक, आर्थिक नियमों से लेकर पर्यावरण सुरक्षा तक कई क्षेत्रों में हो सकते हैं। भारत ने ई-गवर्नेंस मॉडल के साथ परिवर्तनकारी सुधारों को लागू किया है, जो सरकार के साथ नागरिकों की परस्पर क्रिया को सुव्यवस्थित करता है और उन्हें एक साथ लाता है। इस डिजिटल युग में, वे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और खुलेपन के साथ-साथ नागरिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा और विशेषाधिकार भी सुनिश्चित करता है।

आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाया है। 1990 के दशक में उदारीकरण ने विदेशी निवेश के द्वार खोले, और आर्थिक विकास तथा नवाचार को बढ़ावा दिया। वस्तु और सेवा कर-जीएसटी, 2017 के सबसे उल्लेखनीय सुधारों में से एक है, जिसने अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल को बदल दिया, जिससे एक पूर्वानुमानित कर व्यवस्था की शुरुआत हुई और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिला।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जवाबदेही को कई संस्थानों के माध्यम से मजबूत किया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि जैसे विभिन्न संवैधानिक निकायों की भूमिका आती है जो एक लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन प्रणाली के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। ई-गवर्नेंस की शुरुआत ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, पिछले बचे कार्यों के बोझ को कम किया है और सेवाएं प्रदान करने में दक्षता बढ़ाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी को कम कर दिया है, जिससे सीधे संवाद और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया की सुविधा मिल रही है।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सभी के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करने और बैंकिंग सेवाओं तथा बीमा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान साफ-सफाई और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक और प्रमुख कार्यक्रम था, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच मुक्त राष्ट्र में बदलना था। भारत में नवीनतम डाटा संरक्षण कानून व्यक्तियों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। यह कानून डाटा प्रबंधन, सहमति प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कड़े मानकों पर ज़ोर देकर, उपयोगकर्ताओं की जानकारी पर उनके नियंत्रण को बढ़ाता है। यह नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करता है, डिजिटल इंटरैक्शन में विश्वास पैदा करता है और भारत को वैश्विक डाटा सुरक्षा मानदंडों के साथ एक आधुनिक और गोपनीयता के प्रति जागरूक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

कर्त्तव्य काल की भावना में, भारत के शासन सुधार उज्ज्वल भविष्य की ओर सामूहिक प्रगति का प्रतीक हैं। जैसे-जैसे नागरिक कर्तव्य और प्रगति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर नई ऊर्जा के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, एक आशाजनक क्षितिज सामने आता है। विभिन्न संस्थाएं और संवैधानिक निकाय पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेह शासन के साथ इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। इन सुधारों के माध्यम से, भारत परिवर्तन की ऐसी कहानी लिखने के लिए तैयार है, जहां नागरिक भागीदारी और सुशासन, बड़े पैमाने पर समाज की समृद्धि में मदद करने के लिए एकजुट होंगे। योजना का यह अंक भारत में शासन की गहरी समझ प्रदान करता है और सहयोगात्मक रूप से उन सुधारों की कल्पना करता है जो समानता और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इस अंक में शामिल किये गए आलेख देश के हालिया सुधारों के आलोक में विषयों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं, जो उन संस्थानों के विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए हैं जो इन सुधारों को संभव बना रहे हैं। ❑

क्षमता-निर्माण के दृष्टिकोण से सिविल सेवा में सुधार

एक युवा लोकतंत्र में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं पर निर्भर है, जमीनी स्तर पर किसी भी सुधार का तेजी से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, जनभागीदारी की भावना, नागरिकों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच विश्वास की कमी को दूर करने, नवाचार और प्रभावशाली वितरण पर सरकार का बढ़ता जोर नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण का संकेत देता है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से, नियम से बंधे 'नौकरशाह' से 'नियम से भूमिका की ओर' एक बदलाव को अपनाकर एक सहानुभूतिशील सिविल सेवक में रूपांतरित होने की आशा की जाती है।

श्रीनिवास कातिकियला | निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।
ईमेल: director-lbsnaa@gov.in

लोकतांत्रिक सरकार में सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस पर नीतियों को तैयार करने, शासन और कल्याण करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लागू करने और तंत्र को कायम रखने से जुड़ी सेवाओं का निर्वहन करने में कार्यपालिका और विधायी शासन प्रणाली की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने सफल कार्यों के माध्यम से, यह कार्यपालिका और विधायी नीति के लिए व्यापक समर्थन तैयार करता है, और अपनी विफलताओं के माध्यम से, यह खुद को और कथित रूप से निर्वाचित सरकारों को संसदीय निरीक्षण के उपकरणों के प्रति जवाबदेह बनाता है।

अपने असंख्य कार्यों के माध्यम से, यह कार्यपालिका की सहायता करता है; लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायिका की सहायता करता है; और, संक्षेप में, राज्य के अन्य अंग – न्यायपालिका की भी सहायता करता है। हालांकि, सार्वजनिक गतिविधि या प्रशासन के हर रूप और आकार में इसकी उपस्थिति के बावजूद, नौकरशाही का वर्गीय दृष्टिकोण कार्यपालिका से जुड़े क्षेत्र की सेवा के लिए संगठित लोगों के समूह तक ही सीमित है। अत: यह परीक्षण प्रचलित परिभाषा तक ही सीमित है।

फ्रांस में 18वीं सदी में जैक्स गौरने द्वारा 'नौकरशाह' शब्द गढ़ा गया था और जिसका यूरोपीय रूप फ्रेडरिक द ग्रेट के प्रशिया में विकसित हुआ, जो मैक्स वेबर और उनके द्वारा चिह्नित विशेषताओं को चित्रित करता है। इसलिए, अपने आधुनिक स्वरूप में, इसे औपचारिक, अवैयक्तिक, नियम से बंधा हुआ और पदानुक्रमित के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर इसका एक नकारात्मक आरोपण होता है। भारत की सिविल सेवा इनसे प्रभावित थी, और 1854 की नॉर्थकोट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट अवधारणाओं के परिणामस्वरूप 1858 में क्वीन की घोषणा सामने आई। तब से इसे खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के योग्यता सिद्धांत पर आयोजित किया जा रहा है।

स्वतंत्र भारत के संविधान का भाग XIV व्यावसायिकता का समर्थन करने वाले विस्तृत सुरक्षा उपायों के साथ संघ लोक सेवा आयोग और राज्य आयोगों का निर्माण करके कुशल 'लोक सेवाओं' का प्रावधान प्रदान करता है। इस योजना के तहत, भारतीय 'नौकरशाह' कार्यपालिका का एक घटक है, जो अनुशासन, नियंत्रण और पूर्ण अधीक्षण के अधीन है। दुनिया के अन्य हिस्सों में नौकरशाही में सेवारत अपने समकक्षों की तुलना में उनके पास अधिक 'गुंजाइश' है। उदाहरण के तौर

पर यदि देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैच अधिनियम अधिक कठिन प्रतिबंध लगाता है। उन्हें कई भूमिकाएं निभाने के लिए कहा जाता है, जिनमें से कई भूमिकाओं की प्रकृति और दायरा स्पष्ट है, चाहे वे विशुद्ध रूप से कार्यपालिका हों या अर्ध-न्यायिक। हालांकि, कुछ भूमिकाओं में, कर्मचारी के पदों पर रहते हुए, राजनीतिक प्रभारियों को सहायता करते समय उन्हें अर्ध-राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि, नौकरशाही का अधिकांश काम अपेक्षाकृत समरूप 'नियम से बंधे पदों' में होता है जहां 'क्या करें' और 'क्या न करें' के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। यहां, नागरिकों या हितधारकों के साथ क्रियाकलाप अपेक्षाकृत घर्षण-मुक्त और सहज होने की उम्मीद है। विरोधाभासी रूप से, अनुभव अक्सर इसके विपरीत होता है। सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता, समयबद्धता और तरीके से नागरिकों की संतुष्टि के स्तर से कम है। भारतीय नौकरशाही की यह जटिल, कभी-कभी असंगत भूमिका के कारण क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। साथ ही, संदर्भ और भूमिका के लिए अनुकूल एक उपयुक्त सिविल सेवक का का सृजन होना भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार 'नौकरशाह का सृजन' जैसा कार्य कई चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है।

यह सुझाव देना बेतुका है कि 'सही काम के लिए सही आदमी' द्वारा बेमेल होने की समस्या का समाधान संभव होगा। यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है।

एक जटिल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और आज के दौर में एक मुखर समुदाय द्वारा अक्सर तेजी से प्रतिध्वनित एक महत्वाकांक्षी जनसांख्यिकी के साथ एक विशाल विविधतापूर्ण समाज का प्रशासन करने के लिए सिविल सेवक और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के तरीके और अपने-आप में सिविल सेवा की पुनर्कल्पना की आवश्यकता होती है। अग्रणी 'मिशन कर्मयोगी' कार्यक्रम में इन सभी पहलुओं का समाधान किया गया है। 'मिशन कर्मयोगी' नए सिरे से नौकरशाही का सृजन करना नहीं चाहता है। यह व्यावहारिक है, और सिविल सेवा की संरचना की विविधता और जटिलता को स्वीकार करते हुए, यह सिविल सेवक-नागरिक के इंटरफेस बिंदु पर क्षमता-निर्माण और व्यवहार, दृष्टिकोण और क्षमताओं को बदलकर वृद्धिशील लाभ प्राप्त करना चाहता है। मौजूदा सिविल सेवा के अनुकूलन में, यह मिशन (ए) व्यवहार, कार्यात्मक ज्ञान और डोमेन के त्रिआयामी कौशल; (बी) निरंतर कौशल उन्नयन के माध्यम से इसे कुशल और अनुकूल बनाकर सिविल सेवा की प्रकृति; और (सी) नियम से भूमिका में बदलाव के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर देकर व्यक्ति को निखारने का प्रयास करता है। सभी तीन बदलाव मौलिक हैं और इनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

मिशन कर्मयोगी के माध्यम से, नियम से बंधे 'नौकरशाह' से 'नियम से भूमिका' में परिवर्तन को अपनाकर एक ज्ञानभूतिशील सिविल सेवक में बदलने की उम्मीद की जाती है। यह कहना तो अधिक आसान लगता है किंतु कर पाना इतना आसान नहीं है। एक बड़ा नौकरशाही तंत्र जो विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक तौर पर कार्य करता है, विविध संगठनात्मक संस्कृतियों में फैला हुआ है, विविधतापूर्ण सामाजिक संदर्भों में काम करता है, और असंख्य दोहराव एक व्यक्तिगत पुनरावृत्ति के स्तर पर सेवा की समान गुणवत्ता में सामंजस्य कैसे बिठाता है?

यह एक 'नियम' से 'भूमिका' में बदलाव का प्रतिरूप होने के साथ-साथ एक चुनौती है, जो प्रतीत होता है कि अवैयक्तिक प्रक्रिया को निरस्त्र कर रहा है और प्रत्येक नागरिक की मांग के लिए विवेक और कस्टम-निर्मित प्रत्युत्तर की ताजा हवा में सांस ले रहा है, वास्तव में दस लाख पदाधिकारियों के बीच स्वायत्त कार्रवाई निहित है। यह अंतर्निहित पृथक्करण के परिणाम के तौर पर एक स्थान के साथ एक सपाट प्रत्युत्तर की ओर संकेत देता है और इसलिए पदानुक्रम को कमजोर करता है।

- इस प्रकार, पहला बड़ा निहितार्थ, एक कमजोर पिरामिड है। परिवर्तन की दिशा में वितरण बिंदु पर तय की गई आनुपातिक जवाबदेही के साथ शीर्ष नेतृत्व वाले पर्यवेक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन से निचले स्तर के वितरण की ओर बढ़ना होता है। हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में, हमें प्रभावी कमांड संरचनाओं के साथ-साथ मध्य और निचले स्तर पर मजबूत और सक्षम क्षमताओं की आवश्यकता है; इसलिए प्रत्येक सिविल सेवक के स्तर पर क्षमता-निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में अब तक 'अप्रशिक्षित' (वे जो वरिष्ठ सिविल सेवा के मामले के विपरीत, निरंतर प्रशिक्षण के प्राप्तकर्ता नहीं हैं) को आजीवन सीखने वालों में कैसे परिवर्तित किया जाए?
- प्रक्रिया का दूसरा निहितार्थ है - एक आजीवन सीखने वाले की भावना को प्रेरित करना, जो कामकाजी सिविल सेवकों से प्राप्त निरंतर इनपुट के बल पर कार्य को पूरा करता है। विशाल जनसंख्या के लिए कार्य करने वाले लाखों सिविल सेवक निरंतर, आजीवन शिक्षण प्राप्तकर्ता के रूप में खुद को किस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं? इसकी परिकल्पना 'एनी टाइम-एनी प्लेस-एनी डिवाइस' डिजिटल शिक्षण इकोसिस्टम के माध्यम से उन्हें छोटे परिमाण में उपभोग्य सामग्री प्रदान करके की गई है। फिर, यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं और एल्गोरिदम उपयोग में हैं जो व्यक्तियों को 'लक्षित' डिलीवरी सक्षम करते हैं। ई-कॉमर्स पोर्टलों में लक्षित विज्ञापन और अनुकूलित वरीयता सूची के उदाहरण पर्याप्त संख्या में हैं। किंतु, हम अपने जैसे नौकरशाही के इकोसिस्टम में व्यक्तिगत स्तर की आवश्यकताओं की पहचान कैसे करते हैं?
- यह 'नियम' से 'भूमिका' में बदलाव का तीसरा निहितार्थ है। प्रत्येक कार्य के स्तर पर, क्रियाकलाप के स्तर पर और कार्य स्तर पर कौशल की पहचान एफआरएसी (भूमिकाओं, क्षमताओं और दक्षताओं की संरचना) नामक एक अभिनव पृथक्करण मॉडल द्वारा व्यक्त की जाती है, जो नौकरशाही संरचना के विभिन्न स्तरों पर इन विविध कार्यों का निरूपण करती है। मिशन के शुभारंभ के समय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा डिजाइन इस संरचना का एक प्रोटोटाइप उपलब्ध कराया गया था। यह टेम्प्लेट मॉडल अब विभिन्न एजेंसियों, मंत्रालयों और राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए अनुकूलन हेतु उपलब्ध है। वैश्विक कोविड महामारी द्वारा एक प्रारंभिक प्रूफिंग चुनौती पेश की गई थी, और भारत में, हजारों डॉक्टरों, चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, युवा स्वयंसेवकों आदि को अचानक और एक साथ प्रशिक्षित करने की आवश्यकता का जवाब प्रोटोटाइप आईजीओटी (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑन-लाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म द्वारा दिया गया था, जिसने 2020 के अप्रैल-मई के दौरान 8-10 सप्ताह से भी कम समय में प्रमाणित पाठ्यक्रमों पर लगभग 1.5 मिलियन सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, फिर भी इसकी जटिलता के मामले में, यह अभी भी मध्यम था इसमें निश्चित संख्या में भूमिकाएं शामिल थीं। दूसरी ओर, समग्र सरकार में कार्यों की अनिश्चित संख्या शामिल होती है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय, विभाग और संगठन के लिए भविष्य की यह चुनौती है कि वह आंतरिक परीक्षा की इस प्रक्रिया को अपने ऊपर ले और अपनी भूमिका और कार्य का सेट तैयार करे। इस प्रकार एफआरएसी नौकरशाही रूपी शरीर की रचना के उपास्थि-संयोजी ऊतक हैं, जो शरीर को क्रियाशील बनाते हैं। एक बार जब जटिल प्रक्रियाओं की

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

कर्मयोगी मार्गनिर्देश, 2023

- जन-भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सिविल सेवाओं को भविष्य के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना
- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को सिविल सेवा क्षमता-निर्माण के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन का माध्यम बनने में सक्षम बनाना
- सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन में नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बदलाव के समग्र उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्षमता-निर्माण संबंधी क्रियाकलाप

इस विशाल शृंखला का मानचित्रण हो जाता है, तो छोटे और सुग्राह्य में 'सीखने' की सामग्री कौन बनाएगा? यह अगली पहेली है।

- 'नियम' से 'भूमिका' में बदलाव का चौथा निहितार्थ शिक्षण सामग्री को संकलित करने और बनाने की क्षमता है जो हमेशा एक विशेषज्ञ का काम रहा है, और सामग्री हमेशा सर्वोच्च रही है। अक्सर वितरण स्तर पर जवाबदेही के साथ-साथ बेहतर सेवा के लिए नागरिक दबाव के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी की मांग के कारण उपभोग की अचानक भूख के प्रति उत्तरदायी एक सक्षम वातावरण का निर्माण, एक प्रत्युत्तर संरचना का अनुमान करता है, जो मांग संरचना जैसा ही व्यापक है। एक 'कंटेंट मार्केट प्लेस' की परिकल्पना की गई है। इस बाज़ार में आर्थिक सूत्रधार निर्माता हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, निजी क्षेत्र की ज्ञान-आधारित संस्थाएं, शिक्षाविद् और यहां तक कि ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो इस इकोसिस्टम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इस बाज़ार का उद्देश्य कार्यस्थल पर प्रभाव का मूल्यांकन करके निर्मित सामग्री के प्रत्येक टुकड़े के लिए एक प्रभाव की गणना के साथ ग्रहण के लायक सामग्री प्रदान करना है, जिसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी टैग की गई दक्षताओं को सामग्री प्रदाताओं द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार, सामग्री के संभावित उपभोक्ताओं को अवगत किया जा सके और वे इसे विकल्प के रूप में चयन कर सकें और अपने प्रबंधकों द्वारा अपनी शिक्षण सामग्री के रूप में रखे गए संसाधनों का उपयोग करके अपने उपभोग की मात्रा के लिए भुगतान करें। शिक्षण सामग्री का प्रभाव उपयोगिता के पैमाने, समकालीनता, उपयोग में आसानी, लोकप्रियता आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार एक बाज़ार का निर्माण होता है। समाधान की मांग करने वाली अगली परत इस प्रकार है: स्थानीय जरूरतों पर 'क्षमता-निर्माण' के स्थानीय बाजार द्वारा प्रत्युत्तर के समय, पूरे मुद्दे का समाधान कैसे किया जाता है? इन विभिन्न प्रक्रियाओं में कैसे सामंजस्य स्थापित होता है?
- बदलाव का पांचवां निहितार्थ है - जबकि कार्रवाई नागरिक स्तर पर हो सकती है, सभी सूक्ष्म क्रियाओं को एक राष्ट्रीय समग्र - पूरे संगठन के लिए एक एजेंडा, और समग्र दिशा में परिवर्तित होना चाहिए। यह तालमेल मंत्रालयों की वार्षिक क्षमता-निर्माण योजनाओं और राष्ट्रीय दिशा के साथ उनके अंतिम तालमेल द्वारा लाया जाता है। यह तालमेल मिशन के कार्यक्रम की संरचना से प्रभावित है, जिसमें दो गियर शामिल हैं - महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए थिंक टैंक क्षमता-निर्माण आयोग और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम को प्रबंधित करने के लिए एक तकनीकी संगठन, जिसे अब 'कर्मयोगी भारत' नाम दिया गया है।
- संरचना में अंतिम और छठा हिस्सा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मानव संसाधन परिषद के रूप में प्रणाली की संरचना है, जो इसके सचिवालय- कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई द्वारा समर्थित है।

एक पारंपरिक नियम से बंधे 'नौकरशाह' का भूमिका-आधारित 'सिविल सेवक' के रूप में बदलाव जैसे सुधार की एक लंबे समय से आवश्यकता रही है। यह लोगों के कल्याण के लिए शुभ होता है। सरकारी प्रशासन द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट, उत्पीड़न या कदाचार के जनता की बुनियादी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी करना, आधुनिक समाज की पहचान है। एक युवा लोकतंत्र में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं पर निर्भर है, जमीनी स्तर पर किसी भी सुधार का तेजी से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, जनभागीदारी की भावना, नागरिकों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच विश्वास की कमी को दूर करने, नवाचार और प्रभावशाली वितरण पर सरकार का बढ़ता जोर नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में, यह 'नियम के अनुकूलन' और बेहतर भूमिका वितरण के लिए प्राथमिकता के साथ असुविधा की घोषणा है। 'सिविल सेवा क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के तहत पुनर्निर्मित सिविल सेवक की भावना, बढ़ती समृद्धि की दिशा में स्वतंत्र भारत की यात्रा के अमृत काल के दौरान सेवा करने वाले 'कर्मयोगी' की है। अब वह एक स्थिर नियम से बंधे नौकरशाह नहीं बल्कि एक प्रेरित, गतिशील, सहानुभूतिपूर्ण, सक्षम और दयालु सिविल सेवक हैं। ❑

Elite Academy For Education & Training (P) Ltd. ★ Delhi ★

जवाबदेही और वित्तीय प्रशासन

गिरीश चंद्र मुर्मू | भारत के नियंत्रक और महालेखाकार। ईमेल: cagoffice@cag.gov.in

देश के लोक वित्त प्रबंधन में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) संस्थान मुख्य भूमिका निभाता है। सीएजी सरकार को केंद्र और राज्य सरकारों के खाते रखने के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देता है। उदारता और बढ़ती स्वायत्तता के इस दौर में नीति-निर्माताओं और समाज को देश के महालेखापरीक्षक से ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं कि कार्यकारिणी के कामकाज के प्रति वह विश्वास जमाने और उनके काम में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने का दायित्व संभालेगा। सीएजी देश के करदाताओं और भारत के उद्यमों में निवेश करने वालों के भरोसे को बनाए रखने का महती दायित्व भी निभाता है। साथ ही यह संस्थान देश के वित्तीय प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में भी योगदान करता है।

भारत में लोक प्रशासन का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इसकी जड़ें चौथी शताब्दी बीसीई में भी काफी गहरी और मजबूत थीं। कौटिल्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' जन प्रशासन के बारे में विश्व की सबसे पुरानी लिखित पुस्तक है जिसमें राजनीति, सरकार तंत्र और प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही पर बल देते हुए व्यापार नियमों, संबद्ध उदाहरणों, परिस्थितियों और गणनाओं के आधार पर खातों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था अपनाने को कहा गया है।

भारत में नियंत्रक और महालेखाकार संस्थान 1860 में अस्तित्व में आया था और 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान निर्माताओं ने सीएजी को संसद द्वारा स्वीकृत सरकारी व्यय पर निगरानी और अंकुश रखने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएजी का अलग ही दर्जा है क्योंकि वह निर्धारित करता है कि सरकारी खातों का लेखा-जोखा किस प्रकार रखा जाता है और फिर यह सरकार की भी प्राप्तियों और खर्चों की ऑडिट (लेखा जांच) भी करता है।

संविधान के अंतर्गत सीएजी को विधायिका और कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त रखने की पक्की व्यवस्था की गई है। सीएजी

लेखा-परीक्षा के लाभ

को लेखा परीक्षण के मुद्दे चुनने, लेखा परीक्षण की प्रणाली और उसकी रिपोर्ट बनाने का तरीका तय करने तथा अपने कार्यालय के गठन और प्रबंधन के बारे में अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। सीएजी कार्यालय का कार्य भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के माध्यम से संचालित होता है। सीएजी और आईएएंडएडी मिलकर भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) बनते हैं। एसएआई संस्थान में 47,000 लोग काम करते हैं तथा देश-विदेश में इसके 137 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

सीएजी देश के लोक वित्त प्रबंधन में मुख्य भूमिका अदा करता है। जन वित्त या सरकारी आय को विधायिका अधिकृत करती है और कार्यकारिणी अधिकृत बजट आवंटन के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराती है। सीएजी सरकार को सलाह देता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के खाते किस प्रकार से रखे जाने हैं। केंद्र सरकार के खाते नियंत्रक और महालेखाकार तैयार करते हैं जबकि राज्य सरकारों के खाते तैयार करने की जिम्मेदारी सीएजी की होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा सीएजी करते हैं जो लेखा परीक्षित खाते और उनकी ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को सौंपते हैं जो संसद और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

वित्तीय संस्थानों में जवाबदेही तीन स्तरों पर तय की जाती है:- कार्यकारिणी के अंतर्गत मंत्रालय और विभाग आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित करते हैं, बाहरी लेखा आकलन सीएजी के जिम्मे रहता है और विधायी समितियां स्वतंत्र जांच करती हैं। सीएजी संगठन वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता बनाए रखने वाला सुदृढ़ स्तम्भ है और यह समय पर, स्वतंत्र और जन-संसाधनों के बारे में विश्वसनीयता जमाकर सुशासन को बढ़ावा देता है। प्रशासन के संघीय ढांचे के तीनों स्तरों- केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित सरकारों और स्थानीय निकायों के स्तर पर सीएजी की देशव्यापी लेखा परीक्षा व्यवस्था मौजूद है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि अंतिम छोर पर भी जवाबदेही की पक्की व्यवस्था लागू है। लेखा परीक्षा के दायरे में संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय, विधायी प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान (पीएसयू) शामिल हैं।

विधायी समितियां जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने की सशक्त माध्यम हैं। संसद/राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत सीएजी ऑडिट रिपोर्टों को विस्तृत जांच के लिए विधायी समितियां ही चुनती हैं। सीएजी विधायी समितियों के प्रति मित्र, विचारक और मार्गदर्शक जैसा व्यवहार करते हैं तथा उन्हें ध्यान देने वाले मुद्दे सुझाते हैं और खास चिंता वाले मुद्दों के बारे में खास जानकारी देते हैं। ये समितियां सीएजी की लेखा परीक्षण टिप्पणियों पर गहराई से विचार करती हैं और रिपोर्ट में इंगित की गई अनियमितताओं या खामियों को दूर करने की दिशा में किए कार्य के बारे में कार्यकारी समितियों से जानकारी मांगती हैं। कार्यकारिणी के तहत मंत्रालयों/विभागों को इस दिशा में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट विधायी समिति को देनी होती है जिसमें सीएजी की टिप्पणियों और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही शामिल होनी चाहिए। समितियों के पास भेजने से पहले सीएजी इन रिपोर्टों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रशासन की जवाबदेही प्रक्रिया में सीएजी की बहुत ही अहम भूमिका होती है।

सीएजी तीन प्रकार का लेखा परीक्षण करता है-वित्तीय प्रमाणीकरण से संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए; निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का परिपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष परिपालन लेखा परीक्षा तथा निष्पादन लेखा परीक्षा जिससे तय हो सके कि सभी प्रणालियां किफायती, कुशल और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लेखा परीक्षणों की विषयवस्तु जोखिम आकलन की समग्र प्रक्रिया से तय की जाती है और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि समूचे माहौल के हिसाब से ही लेखा परीक्षण प्रक्रिया लागू की जाए। मंत्रालयों और विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वाउचर स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण और वित्तीय लेखा परीक्षण जोखिम आकलन में

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

महत्वपूर्ण आदान हैं और इनसे जाना जा सकता है कि कौन से मुद्दों की अधिक बारीकी से जांच करना जरूरी है ताकि परिपालन और निष्पादन ऑडिट किए जा सकें।

लेखा परीक्षण की टिप्पणियां जांच रिपोर्टों, विधायी अधिकरणों के खातों की अलग-अलग ऑडिट रिपोर्टों और प्रबंधन पत्रों के माध्यम से उस संस्था तक भेजी जाती हैं जिसके खातों की लेखा परीक्षा की गई है। इससे प्रबंधक को खामियां सुधारकर आवश्यक उपाय करने का अवसर मिल जाता है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण टिप्पणियां सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिये संसद और राज्य विधान सभाओं को भेज दी जाती हैं। इनमें केंद्र सरकार विनियोग और वित्त खाते, राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्टें, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कामकाज के बारे में सामान्य उद्देश्य वित्त रिपोर्टें और अनेक परिपालन और निष्पादन रिपोर्टें शामिल हैं। सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों में बजट प्रबंधन के बारे में लेखा परीक्षा से जुड़ी टिप्पणियों के साथ ही कमी/आधिक्य, सरकारी वित्त विश्लेषण, विगत वर्ष की प्रमुख राजकोषीय जमा राशि में खास बदलाव, रुझान (ट्रेंड्स), राजकोषीय स्थिरता, ऋण प्रोफाइल और सार्वजनिक खाते के मुख्य लेनदेन सहित प्रमुख संकेतकों की जानकारी और राजकोषीय स्थिति का मैक्रो विश्लेषण भी शामिल रहता है। इन विश्लेषणों से सरकार को देश की वित्तीय स्थिति की सही और वास्तविक जानकारी मिलती है जिससे राजकोषीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन जैसे मुख्य क्षेत्रों से जुड़े निर्णय बेहतर ढंग से लेने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, इन रिपोर्टों में व्यावहारिक, रचनात्मक और कार्योन्मुख सिफारिशें भी रहती हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है और इन सिफारिशों से वित्तीय जवाबदेही और सूझबूझ का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

लेखा परीक्षा के प्रयासों से नीतियों में बदलाव, डिजाइनों में सुधार, बीच में सुधारात्मक उपाय और प्रणालियों को सशक्त बनाने जैसे उपाय अपनाकर सुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कर-प्रशासन में कुछ भूलचूक रह गई हो जिसके कारण सरकार की प्राप्तियों में नुकसान या कमी आने की आशंका हो तो ऑडिट रिपोर्टों से सुधार की कार्यवाही करना संभव हो जाता है। कर प्राप्तियों की ऑडिट रिपोर्टों में करों को कम आंकने, प्राप्त राशियों की वसूली संभव न रहने और संबद्ध पक्षों से वसूली अनिवार्य बनाने वाले घाटे या नुकसान जैसे उदाहरण भी शामिल होते हैं। 2021-22 की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों ने 25,571 करोड़ रुपये की वसूली करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों में ऑडिट द्वारा बताये गए कर आकलन की गलतियां ठीक करने के लिए 415 करोड़ रुपये की वसूलियां कीं।

सीएजी द्वारा प्राप्तियों का ऑडिट यह सुनिश्चित करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है कि सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति निर्धारित प्रचलित कानून के तहत ही की गई थी। जैसे कि आयकर विभाग में छानबीन और जब्त करने की घटनाओं पर ऑडिट ने यह आपत्ति उठाई कि आयकर कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है और आयकर कानून की व्यवस्था का उल्लंघन किया गया और दोषी करदाताओं पर पेनल्टी (दंड) लगाने की व्यवस्था लागू नहीं की गई। सरकार ने इसके जवाब में आयकर कानून में संशोधन करके नई धारा 79ए जोड़ दी जिसके तहत करदाता (कर निर्धारिती) को जांच होने के बाद अघोषित आय पर हुआ नुकसान शामिल करने की अनुमति नहीं होगी और धारा 149 में नई उपधारा (1ए) जोड़ी जिसके अनुसार पहले के आकलन में छूटी किसी करयोग्य आय को अब जोड़ा जा सकता है।

इसी प्रकार सीएजी उन सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा करता है जिनमें वर्गीकरण की गलती, गलत विवरण और अनियमितताएं वित्तीय विवरण में सुधारने की जरूरत होती है और निगमित प्रशासन से जुड़े मुद्दों को उजागर किया जाता है। 2021-22 में 1,351 कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण किये गये थे जिनमें खातों की टिप्पणियों में संशोधन 49,089.53 करोड़ रुपये के, लाभ हानि खातों में 13,694.18 करोड़ रुपये के और वर्गीकरण गलतियों से जुड़े संशोधन 32,015.80 करोड़ रुपये के किये गये थे। केंद्रीय और राज्यों के पीएसयू के बारे में विभिन्न लेखा परीक्षा रिपोर्टों में एक ही स्वर में इस बात की जरूरत पर जोर दिया गया है कि सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधकों को निगमित प्रशासन में सुधार लाने के वास्ते विधायी प्रावधानों, नियमों, विनियमों और अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

भारत में लोक वित्त प्रशासन में समय-समय पर कई सुधार किए गए हैं। डिजिटलीकरण के बाद सरकार ने समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) अपनाई है जो भुगतान, प्राप्ति, अकाउंटिंग (लेखा व्यवस्था) और प्रबंधन सूचना प्रणाली का ही व्यापक स्वरूप है। इसके परिणामस्वरूप आय जमा, लागू

करने वाली एजेंसियों को आबंटित फंड, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान सहित हर लेनदेन में स्पष्टता बढ़ गई जिससे वित्तीय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आई और निगरानी व्यवस्था बेहतर बनाने में सहायता मिली। इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कर-रिटर्न दाखिल करने, फास्टैग-चुंगी वसूली योजना, भारतकोष, लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरण की डीबीटी योजना जैसी प्रणालियों से पारदर्शिता और बढ़ी है तथा जवाबदेही तंत्र भी बेहतर बन सका है।

सीएजी विधायी समितियों के प्रति मित्र, विचारक और मार्गदर्शक जैसा व्यवहार करते हैं तथा उन्हें ध्यान देने वाले मुद्दे सुझाते हैं और खास चिंता वाले मुद्दों के बारे में खास जानकारी देते हैं।

सीएजी संस्थान ने वित्तीय प्रबंधन इकोसिस्टम के बदलावों के अनुरूप स्वयं को ढाला है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सरकार की आईएफएमएस प्रणाली के साथ समन्वित किया गया है। इससे अकाउंटिंग प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता बेहतर हुई है और अकाउंटिंग में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को वाउचर प्रमाणन ओर गारंटी जांच के लिए अधिक समय मिलने लगा है जिससे हिसाब-किताब ज्यादा सही तरीके से रखना संभव हो गया है। लेखा परीक्षा में आंकड़ों पर आधारित व्यवस्था अपनाने से ऑडिट परिणाम शीघ्र और बेहतर ढंग से प्राप्त होने लगे हैं जिससे वित्तीय प्रशासन तंत्र चुस्त और मजबूत बन सका है। जीएसटी राजस्व के डिजिटल ऑडिट का संस्थागत स्वरूप भी निर्धारित हो गया है। इसी तरह आंकड़ा विश्लेषण ऐप से बड़े डाटा सेट्स का विश्लेषण सरल हो गया है तथा वित्तीय प्रशासन तंत्र के साथ-साथ समूचे प्रशासन तंत्र में नियंत्रण व्यवस्था मजबूत हुई है।

हाल के वर्षों में निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए वित्तीय प्रशासन में सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएजी ने सीधे लाभ हस्तांतरण योजना डीबीटी के कई ऑडिट किए हैं या ये अभी किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को योजना में शामिल करके उन्हें लाभ पहुंचाने की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके और भुगतान समय पर तथा सही हो। डीबीटी ऑडिट में दिए गए सुझावों से सरकार की आईटी प्रणालियों से समय पर सही भुगतान करने तथा दोहरे भुगतान और गलत भुगतान जैसी खामियों को रोकना संभव हो सकेगा।

लेखा परीक्षा के लिए चुनी जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन अहम है। मनरेगा, पीएम आवास योजना, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, एआईबीपी और एनआरएचएम जैसी सरकारी योजनाओं की वित्तीय प्रणालियों के ऑडिट किए गए जिनमें लागू करने वाली एजेंसियों को जारी किए जाने वाले फंड, खर्च न की गई बकाया राशि, राशि उपयोगिता प्रमाणपत्र न दिए जाने जैसे मुद्दों तथा राशि को अन्यत्र इस्तेमाल करने, राशि रखे रहने, जाली/फर्जी खर्चों और राजस्व की वसूली न किए जाने जैसे मुद्दों को सामने लाया गया है। साक्ष्य आधारित सुझावों के साथ की गई ऑडिट टिप्पणियों से सरकार को गलती ठीक करने के तरीके अपनाकर सुधार लाने, क्रियान्वयन के तरीकों में बदलाव लाने और महत्वपूर्ण स्तर पर बाधाएं दूर करने में कामयाबी मिली है।

वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र पहल की आवश्यकता है और मौजूदा असमानताओं, अनूठी और विविध प्रणालियों, डिजिटल अंतराल (डिवाइड) और स्थायित्व को ध्यान में रखना जरूरी है। उदारीकरण और बढ़ती स्वायत्तता के इस दौर में नीति-निर्माताओं और समाज को देश के लेखा परीक्षक से अपेक्षा है कि वह कार्यपालिका के कामकाज के प्रति लोगों का विश्वास जमाए और उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाए। सीएजी करदाताओं में भारत के प्रति विश्वास को बरकरार रखता है और भारत के उद्यमों में निवेश करने वालों में देश के प्रति विश्वास को बरकरार रखते हुए सशक्त वित्तीय प्रशासन तंत्र के निर्माण में रचनात्मक सहयोग करता है।

एसएआई इंडिया अर्थात् भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक का प्रमुख नीतिगत लक्ष्य सार्वजनिक वित्त प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाना है। एसएआई अकाउंटिंग कार्यालयों का राज्य सरकारों की वित्तीय प्रणालियों के साथ समन्वयन करने से वित्तीय सूचना के प्रवाह और बड़े डाटा सैटों तक पहुंच आसान हो सकेगी जिससे लेखा परीक्षण से जुड़े कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से निपटाए जा सकेंगे। सीएजी कार्यालय की 2023-2030 की विशेष योजना में अकाउंट और ऑडिट अर्थात् खाते रखने और लेखा परीक्षण के बीच संपर्क को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। ऐसा तभी हो सकेगा जब डाटा विश्लेषण और विशेष रूप से वित्तीय जानकारी विश्लेषण के लिए क्षमता विकसित की जाए, इसका उद्देश्य अकाउंटिंग कार्यालयों को लोक वित्त प्रबंधन के सलाहकार बनाना है ताकि वे पीएफएम परिणामों का समर्थन करें।

संस्थागत मूल्यों, व्यावसायिकता (प्रोफेशनलिज्म), योग्यता, सामाजिक जागरुकता और जन संसाधनों के संग्रह और उपयोग के बारे में विश्वसनीय गारंटी देने की प्रतिबद्धता के प्रति मूल विश्वास ही ऐसे मुख्य घटक हैं जिनसे भारत के सीएजी के प्रतिष्ठित कार्यालय की साख और विश्वसनीयता बरकरार रखी जा सकती है और इसे सुशासन का अग्रेता या पथ प्रदर्शक माना जा सकता है। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

संसदीय समितियां
कार्यक्षेत्र और भूमिका को सुदृढ़ बनाना

संसदीय समितियां सरकार के कार्यों की जांच करने और संसद के समक्ष लाए गए विधेयकों की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संसदीय समितियों की प्रभावशीलता संसद के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संसद में बहस की जाती है। इसके अतिरिक्त, समितियां पार्टियों में आम सहमति बनाने, विषय विशेषज्ञता विकसित करने और विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

अलाया पुरेवाल
एमआर माधवन

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, नई दिल्ली के साथ कार्यरत।
ईमेल: alaya@prsindia.org, ईमेल: madhavan@prsindia.org

सरकार के एक प्रमुख अंग के रूप में, संसद स्वाभाविक रूप से विविध और जटिल कार्य करती है, जिनमें कानून बनाना और शासनात्मक कार्यकलापों की देखरेख करना शामिल है। चूंकि, इसके सामने रखे गए मुद्दों पर पूरी तरह से विचार-विमर्श करना मुश्किल है, इसलिए इसे संबोधित करने के लिए, इसने कई समितियों का गठन किया है जो विशिष्ट मुद्दों की विस्तार से जांच करती हैं और संसद को रिपोर्ट भेजती हैं। संसद, मामलों की गहन जांच के लिए संसदीय समितियों पर निर्भर करती है। इसलिए, संसद दो तरीकों से कार्य करती है: सदन में और समितियों में। समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर संसद में बहस की जाती है। इसके अतिरिक्त, समितियां पार्टियों में आम सहमति बनाने, विषय विशेषज्ञता विकसित करने और विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।[1]

स्थायी समितियों को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) विषय, (2) वित्तीय, (3) जवाबदेही, और (4) प्रशासनिक। संसद समय-समय पर तदर्थ समितियां भी बना सकती है। उदाहरण के लिए, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था, जो एक तदर्थ समिति है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के

तालिका 1: विषय समितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के प्रकार

रिपोर्टों की संख्या					कुल रिपोर्टों का प्रतिशत			
रिपोर्ट प्रकार	14वीं लो.स.	15वीं लो.स.	16वीं लो.स.	17वीं लो.स.*	14वीं लो.स.	15वीं लो.स.	16वीं लो.स.	17वीं लो.स.*
विधेयक**	134	145	41	21	13%	14%	4%	2%
डीएफजी	333	285	331	343	32%	28%	31%	38%
विषय	158	159	194	118	15%	16%	18%	13%
एटीआर	416	423	504	404	40%	42%	47%	45%
कुल	1,041	1,012	1,070	892				

*टिप्पणियां: *जुलाई 2023 तक, **में संयुक्त संसदीय समितियों को संदर्भित विधेयक शामिल नहीं हैं।*
स्रोत: डिजिटल संसद; माधवन एम.आर., 'पार्लियामेंट' इन रीथिंकिंग पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स इन इंडिया, पीआरएस।

बाद ऐसी समितियों को भंग कर दिया जाता है।

विभाग से संबंधित समितियां, या विषय समितियां, प्रत्येक मंत्रालय पर निगरानी सुनिश्चित करती हैं। कोई मंत्री इनका सदस्य बनने का पात्र नहीं है। 24 विषय समितियां हैं, और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। समितियों में पार्टियों को सदस्यता सदन में उनकी संख्या के अनुपात में आवंटित की जाती है। विषय समितियां प्रस्तावित कानूनों की समीक्षा करती हैं, बारीकी से जांच के लिए विषयों का चयन करती हैं, और प्रत्येक मंत्रालय के लिए आवंटित बजट की जांच करती हैं। पारित होने से पहले विधेयकों की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें विस्तृत जांच के लिए एक विषय समिति को भेजा जा सकता है। समितियों ने संसद द्वारा पारित कानूनों को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, समुद्री डकैती-रोधी विधेयक, 2019 में समुद्री डकैती के किसी कृत्य के कारण मृत्यु होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।[2] विदेश मामलों की स्थायी समिति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अनिवार्य मौत की सजा, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।[3] इसने सिफारिश की कि दंड को आजीवन कारावास या मृत्युदंड में बदल दिया जाए। संसद ने विधेयक पारित करते समय इस बदलाव को शामिल किया।[4]

वित्तीय समितियों में तीन समितियां शामिल होती हैं: प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक लेखा। कोई मंत्री इनका सदस्य बनने का पात्र नहीं है। प्राक्कलन समिति मंत्रालयों के बजट-पूर्व अनुमानों की जांच करती है; सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की जांच करती है; और लोक लेखा समिति (पीएसी) संसद द्वारा अनुमोदित सरकार के व्यय विवरण की समीक्षा करती है। ऐसी

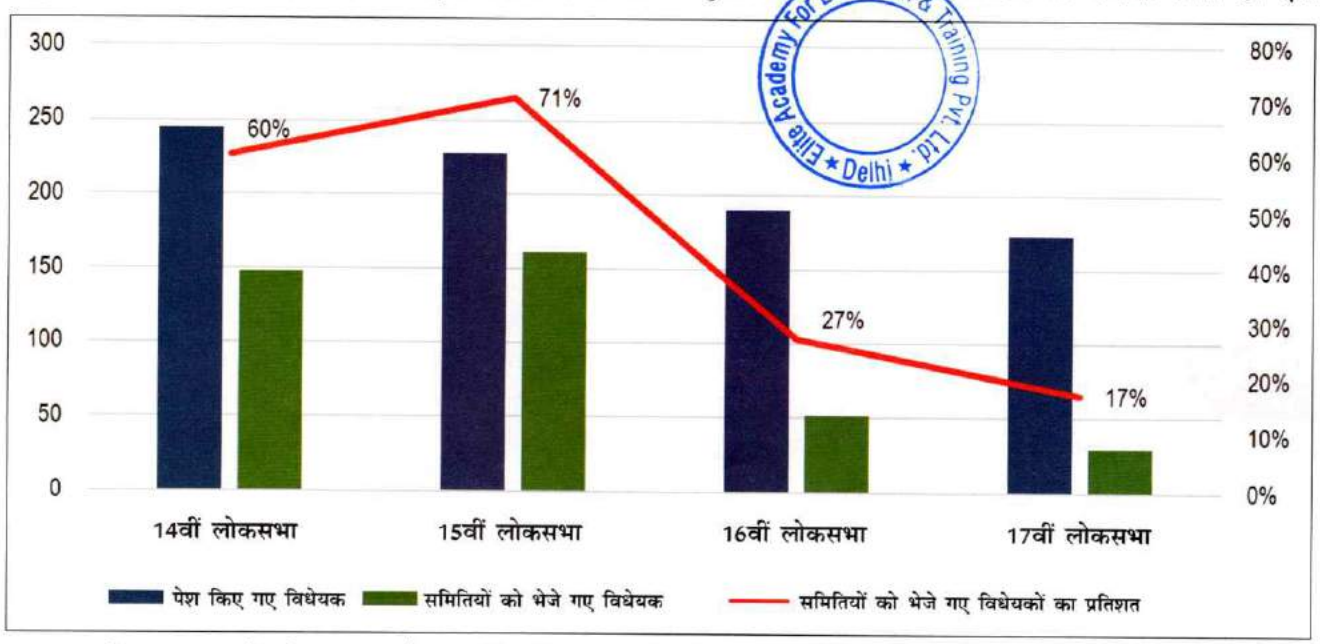

चित्र 1: 14वीं लोकसभा और 17वीं* लोकसभा के बीच समितियों को भेजे गए विधेयकों की संख्या

*नोट: *2023 के मॉनसून सत्र की समाप्ति तक। स्रोत: डिजिटल संसद; पीआरएस*

Ellite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

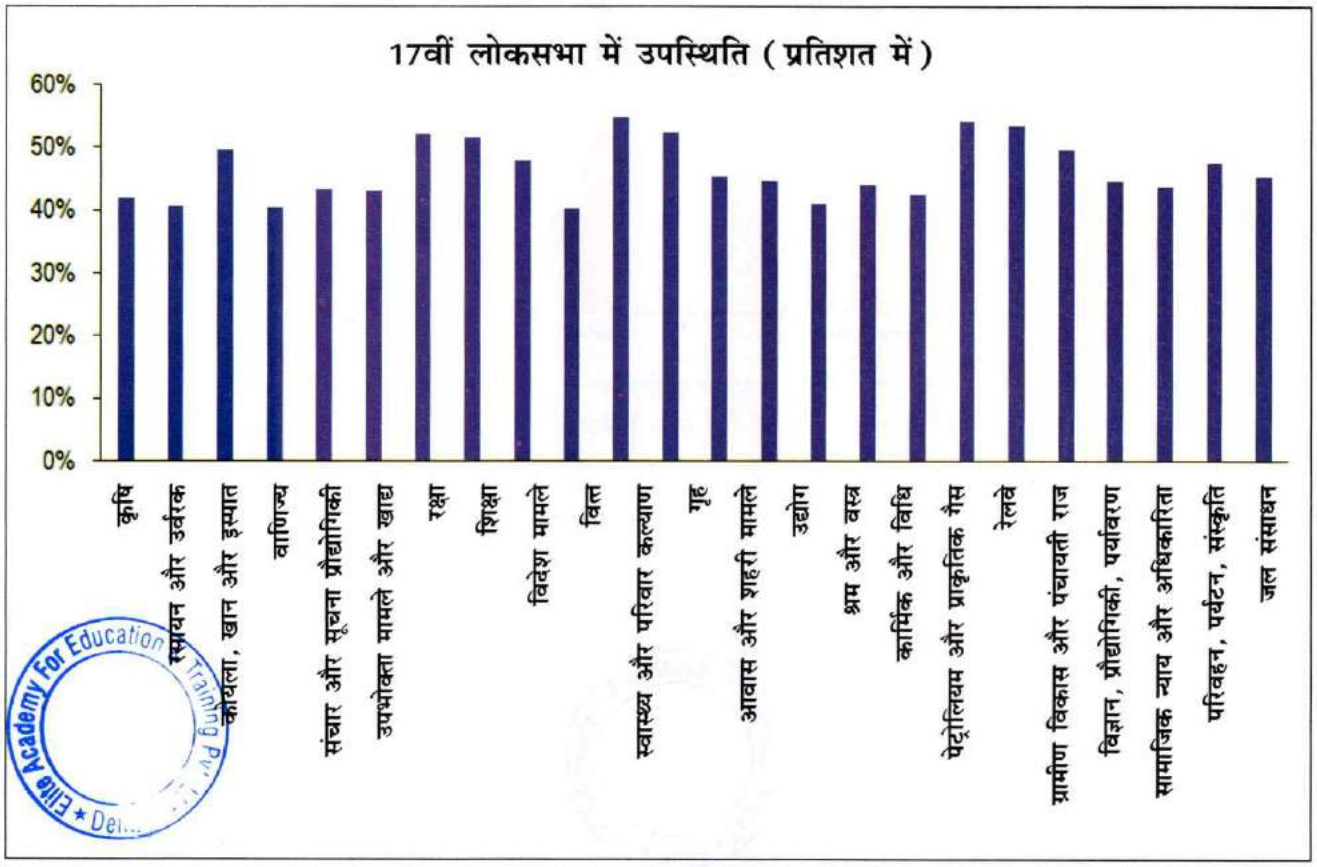

चित्र 2: 17वीं लोकसभा में विषय समिति की बैठकों में औसत उपस्थिति* (प्रतिशत में)

*नोट: *जुलाई 2023 तक। स्रोत: डिजिटल संसद; पीआरएस*

अन्य समितियां हैं जो संसद और सदन के दैनिक कामकाज से संबंधित प्रशासनिक और जवाबदेही मामलों की जांच करती हैं। इन समितियों में विशेषाधिकार समिति शामिल है, जो संसद सदस्यों को प्राप्त अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों की जांच करती है। याचिका समिति जनता द्वारा याचिकाओं के रूप में उसे भेजी गई शिकायतों की जांच करती है। इसके अतिरिक्त, तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी भी सदन द्वारा नियुक्त की जाती हैं। जब वे उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा कर लेती हैं और रिपोर्ट सौंप देती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस लेख में, हम वित्तीय और विषय समितियों के दायरे और भूमिका पर नज़र डालते हैं।

संसद के प्रभावी कामकाज के लिए संसदीय समितियों की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां संसदीय समितियों को सुधार और मजबूती की जरूरत है।

सभी विधेयकों को समितियों को भेजना: वर्तमान में, विधेयकों को स्वचालित रूप से किसी समिति को नहीं भेजा जाता है। किसी विधेयक को किसी समिति को भेजा जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री के परामर्श से अध्यक्ष या सभापति के निर्णय पर निर्भर करता है। सभी विधेयकों को एक समिति के पास भेजने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी कानून न्यूनतम स्तर की संसदीय जांच से गुजरें। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रत्येक मोटर वाहन के मालिक को तृतीय-पक्ष बीमा लेने की आवश्यकता होती है, जो दुर्घटना की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को दिए गए मुआवजे को कवर करेगा।[5] 2016 में एक संशोधन विधेयक ने मृत्यु के मामले में बीमा भुगतान को 10 लाख रुपये तक सीमित कर दिया।[6] स्थायी समिति ने बताया कि मुआवजा अदालतों द्वारा दिया जाएगा और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।[7] इसलिए, बीमा भुगतान पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए ताकि यह पूरे मुआवजे को कवर कर सके। संसद ने विधेयक पारित करते हुए इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

17वीं लोकसभा के दौरान, 2023 के मानसून सत्र के अंत तक, 17 प्रतिशत विधेयक समितियों को भेजे गए हैं (चित्र 1 देखें)। पिछली तीन लोकसभाओं में यह संख्या घटती जा रही है, (जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है)। समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा करना या कुछ सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारणों को निर्दिष्ट करना भी अनिवार्य नहीं है। हालांकि, सदन में इन विवरणों पर चर्चा करने से कानूनों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, प्रस्तावित कानूनों पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने से कानून में संभावित

चित्र 3: 17वीं लोकसभा में वित्त समिति की बैठकों में औसत उपस्थिति* (प्रतिशत में)

*नोट: *जुलाई 2023 तक, स्रोत: डिजिटल संसद; पीआरएस*

कमियों को दूर करने में सहायता मिल सकती है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002) ने कहा कि संसद में पेश किए गए सभी विधेयकों को विस्तृत विचार और चर्चा के लिए स्वचालित रूप से विषय समितियों को भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, विषय समितियों को अपने संबंधित विषय में संसद द्वारा पारित कानूनों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करनी चाहिए।[1] यूनाइटेड किंगडम जैसी कुछ संसदीय प्रणालियों में, धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक स्वचालित रूप से समितियों को भेजे जाते हैं।[8]

सांसदों की उपस्थिति: संसदीय समितियां सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें आयोजित करती हैं। समिति प्रणाली की सफलता के लिए इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है। हालांकि, समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कम होती है। 17वीं लोकसभा में, जुलाई 2023 तक, विषय समितियों की बैठकों में औसत उपस्थिति 47 प्रतिशत थी (चित्र 2 देखें)। वित्तीय समितियों में उपस्थिति घटकर 37 प्रतिशत रह गई है। इसकी तुलना में, समान अवधि के दौरान संसद में उपस्थिति 79 प्रतिशत थी। समिति की बैठक के लिए कोरम, समिति के सदस्यों का एक तिहाई है, जो एक विषय समिति के लिए लगभग 10 सदस्य है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (2002) में कहा गया है कि समिति की बैठकों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति थी।[10] इसके अलावा, ऐसे उदाहरण भी देखे गए जहां एक ही समिति में बहुत सारे मंत्रालय शामिल थे। यह नोट किया गया कि ये समितियां कई मंत्रालयों के कामकाज की गहन जांच करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

तकनीकी कर्मचारियों और विशेषज्ञों की कमी: समितियों की भूमिका में अधिक गहराई से चयनित मामलों की जांच करना जो सदन में संभव नहीं है और उन जांच के किसी भी निष्कर्ष को सदन को रिपोर्ट करना शामिल है। जटिल मुद्दों और नीतियों या कानून के संभावित प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए संसदीय समितियां विशेषज्ञ गवाहों, हितधारकों और जनता से परामर्श कर सकती हैं। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002) ने सिफारिश की कि इन समितियों को जांच करने, सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने और डाटा एकत्र करने में सहायता के लिए धन आरक्षित किया जाए। वर्तमान में, संसदीय समितियों को उपलब्ध तकनीकी सहायता एक सचिवालय तक सीमित है जो बैठकों को निर्धारित करने और नोट्स लेने में मदद करती है। यह कनाडा जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों के विपरीत है, जहां संसद का पुस्तकालय अनुरोध पर सभी समितियों को अनुसंधान कर्मचारी प्रदान करता है।[11] वे पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करते हैं और समिति के लिए संभावित गवाहों की पहचान करते हैं। समितियां संसद के पुस्तकालय के बाहर से अतिरिक्त या अधिक विशिष्ट अनुसंधान सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सार्वजनिक पारदर्शिता: समिति की रिपोर्टें आमतौर पर सार्वजनिक की जाती हैं, लेकिन समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं हो सकती है। पारदर्शिता के उपाय के रूप में, संसदीय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को समिति की रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। हालांकि, बैठकें बंद कमरों में आयोजित की जाती हैं। बंद कमरों की बैठकें हालांकि पार्टी की सहमति तक पहुंचने के लिए अधिक अवसर देती हैं, लेकिन वे संसदीय समितियों के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग (2002) ने सिफारिश की कि सभी संसदीय समितियों की प्रमुख रिपोर्टों, खासकर जहां किसी समिति और केंद्र सरकार के बीच असहमति हो, पर संसद में चर्चा की जाए।[10] इसके विपरीत, कुछ अन्य लोकतांत्रिक देशों में बैठकों का लाइव वेबकास्ट किया जाता है। कनाडा में, संसद ने समितियों को 1991 में हाउस मैनेजमेंट समिति द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी कार्यवाही प्रसारित करने की अनुमति दी।[12] कोविड-19 महामारी के दौरान, यूनाइटेड किंगडम ने महामारी के लिए देश की तैयारियों पर स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल समिति की लाइव कवरेज की थी।[13]

संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002) ने संसदीय समितियों के लिए कुछ सुधारों की सिफारिश की।[10] इनमें तीन नई समितियों की स्थापना शामिल है: संविधान समिति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर समिति, और विधान पर समिति।[10] समिति ने कहा कि अनुमान, सार्वजनिक उपक्रम और अधीनस्थ विधान पर मौजूदा समितियों को जारी रखना आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि उनके द्वारा कवर किए गए विषय को

विषय समितियों या प्रस्तावित समितियों द्वारा कवर किया जा सकता है।[10] ये सिफारिश लागू नहीं की गई है।

निष्कर्ष

संसदीय समितियां सरकार के कार्यों की जांच करने और संसद के समक्ष लाए गए विधेयकों की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सांसदों को हितधारकों और विशेषज्ञों के विचारों तक पहुंचने और विवादास्पद मुद्दों पर पार्टी लाइनों के पार आम सहमति बनाने में सक्षम बनाती हैं। कुछ सुधार, जैसे प्रत्येक विधेयक को एक समिति को भेजना और विषय तथा लिंग समितियों को विशेषज्ञ कर्मचारी प्रदान करना, उनकी प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं। ❑

नोट: लेखक डाटा एकत्र करने में मदद के लिए निरंजना मेनन को धन्यवाद देते हैं।

संदर्भ

1. संसद पर कार्य बोझ और सुधारों की आवश्यकता पर एक पृष्ठभूमि पत्र, खंड 2, पुस्तक 3, संविधान रिपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2002, https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/WORKING%20OF%20PARLIAMENT%20AND%20NEED%20FOR%20REFORMS.pdf.
2. समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019 , https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/The%20Anti-Maritime%20Piracy%20Bill,%202019.pdf.
3. विदेश मामलों पर स्थायी समिति, समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019, लोकसभा, फरवरी 2021 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/17_External_Affairs_6.pdf.
4. समुद्री डकैती रोधी अधिनियम, 2022 https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/243355.pdf.
5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1798/1/A1988-59.pdf.
6. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2016/Motor%20Vehicles%20(Amendment)%20Bill,%202016-.pdf
7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति, मोटर वाहन संशोधन) विधेयक, 2016, राज्यसभा, 8 फरवरी, 2017, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/78/243_2020_9_15.pdf?source=rajyasabha.
8. 'सामान्य विधेयक (सार्वजनिक विधेयक समितियों सहित)', यूके संसद, 27 जुलाई, 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.parliament.uk/about/how/committees/general/
9. माधवन एम.आर., 'पार्लियामेंट' इन रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता और मिलन वैष्णव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016
10. अध्याय 5 'संसद और राज्य विधानमंडल', खंड 1, संविधान रिपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2002 https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/chapter%205.pdf.
11. 'समितियां', हाउस ऑफ कॉमन्स, कनाडा की संसद, 27 जुलाई, 2023 को एक्सेस की गई https://www.ourcommons.ca/marleaumont-petit/DocumentViewer.aspx?Language=E&Sec=Ch20&Seq=8
12. 'द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड', हाउस ऑफ कॉमन्स, कनाडा की संसद, 27 जुलाई 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.ourcommons.ca/procedure/procedure-and-practice-3/ch_24_2-e.html.
13. 'लाइव कोरोनावायरस कमेटी', बीबीसी पार्लियामेंट, 05 मार्च, 2020, https://www.bbc.co.uk/programmes/m000ghsb.

YH-2431/2023

डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023

यह अधिनियम व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों के संसाधन के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जिससे व्यक्तियों की अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा का अधिकार और ऐसी व्यक्तिगत जानकारियों के वैध उद्देश्यों के लिए संसाधन की आवश्यकता और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों दोनों को मान्यता मिलती है।

1. अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों (अर्थात् वह जानकारियां जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान संभव है) की सुरक्षा करता है:
   - आंकड़ों के संसाधन (अर्थात् व्यक्तिगत जानकारियों का संग्रह, भंडारण या कोई अन्य संचालन) के लिए आंकड़ा से जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति (अर्थात जानकारियों का संसाधन करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं) के दायित्व;
   - डाटा प्रिंसिपल (अर्थात्, वह व्यक्ति जिससे संबंधित आंकड़ें हैं) के अधिकार और कर्तव्य ; और
   - अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड

   अधिनियम से निम्नलिखित भी हासिल किए जाने हैं :
   - आंकड़ा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा जानकारियों के संसाधन के तरीके में न्यूनतम व्यवधान के साथ आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़े कानून लागू करना;
   - जीवन में आसानी और व्यापार में सुगमता को बढ़ाना; और
   - भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके इनोवेशन इकोसिस्टम को सक्षम बनाना।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित सात सिद्धांतों पर आधारित है:
   - व्यक्तिगत आंकड़ों के सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत;
   - उद्देश्य की सीमा का सिद्धांत (डाटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय दिए गए उद्देश्य के लिए ही व्यक्ति से जुड़े आंकड़ों का उपयोग);
   - न्यूनतम आंकड़ों का सिद्धांत (केवल उतनी ही व्यक्तिगत जानकारियां एकत्र करना जितना तय उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है);
   - आंकड़ों की सटीकता का सिद्धांत (ये सुनिश्चित करना कि जानकारियां सही और नवीनतम हैं);
   - भंडारण की सीमा का सिद्धांत (आंकड़ों का संग्रह केवल तब तक रखना जब तक कि दिए गए उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो);
   - सुरक्षा के उचित उपायों का सिद्धांत; और
   - जवाबदेही का सिद्धांत (आंकड़ों से जुड़े और

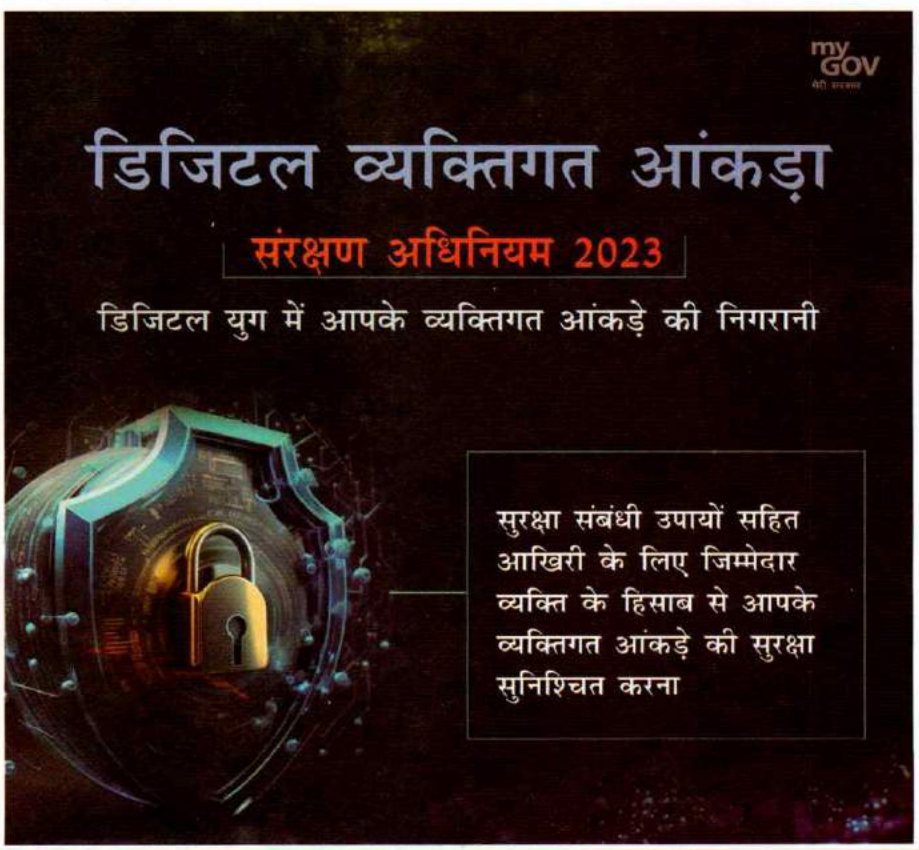

Ellipse Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों पर निर्णय और दंड के माध्यम से)।

3. अधिनियम में कुछ अन्य नवीन विशेषताएं हैं:

यह अधिनियम संक्षिप्त और सरल यानी आसान, सुलभ, तर्कसंगत और कार्रवाई योग्य कानून है, क्योंकि ये-

- स्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है;
- इसमें ऐसे उदाहरण शामिल हैं जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं;
- इसमें कोई जोड़ी गई शर्त ("बशर्ते कि...") नहीं है; और
- इसमें प्रति संदर्भ न्यूनतम है।

4. स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग करके, यह अधिनियम पहली बार संसदीय कानून-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता है।

5. अधिनियम व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

- संसाधित व्यक्तिगत आंकड़ों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार;
- जानकारियों को सुधारने और हटाने का अधिकार;
- शिकायत के निवारण का अधिकार; और
- मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार।

अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, एक प्रभावित डाटा प्रिंसिपल पहले आंकड़ा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क कर सकता/सकती है। यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो वह आंकड़ों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ डाटा संरक्षण बोर्ड में बिना किसी परेशानी के साथ शिकायत कर सकता/सकती है।

6. अधिनियम आगरा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए निम्नलिखित दायित्वों का प्रावधान करता है:

- व्यक्तिगत आंकड़ों में सेंध को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना;
- व्यक्तिगत आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों की जानकारी प्रभावित डाटा प्रिंसिपल और डाटा संरक्षण बोर्ड को देना;
- किसी तय उद्देश्य के लिए आवश्यकता न रहने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना;
- सहमति वापस लेने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना;
- शिकायत निवारण प्रणाली और आंकड़ों से संबंधित व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था करना; और
- महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अधिसूचित व्यक्ति के संबंध में कुछ अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करना, जैसे डाटा ऑडिटर की नियुक्ति करना और उच्च स्तर की डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डाटा सुरक्षा प्रभावों का आकलन करना।

7. यह अधिनियम बच्चों की व्यक्तिगत जानकारियों की भी सुरक्षा करता है।

- अधिनियम आंकड़ा न्यासीय को केवल माता-पिता की सहमति से ही बच्चों की व्यक्तिगत जानकारियों को संसाधित करने की अनुमति देता है।
- अधिनियम आंकड़ों के ऐसे संसाधन की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या जिसमें उन पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हो। ❑

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय
(17 अगस्त 2023 के अनुसार)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है और भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए विचारार्थ विषयों के साथ गठित किया गया है। आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को (रिपोर्ट के रूप में) सिफारिशें करता है। विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए संदर्भों पर विभिन्न विषयों को लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। भारत का विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करता है।

सरकार ने 21 फरवरी 2020 से तीन साल की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग की संरचना भारत इस प्रकार है:

1. एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
2. चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
3. सचिव, कानूनी कार्य विभाग, पदेन सदस्य के रूप में;
4. सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में; और
5. पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

विधि आयोग कैसे कार्य करता है

- आयोग केंद्र सरकार और/या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर परियोजनाओं पर काम करता है। कभी-कभी विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग विशिष्ट विषयों पर अपनी ओर से अध्ययन करता है।

कार्यप्रणाली

- परीक्षण के लिए संदर्भ प्राप्त होने पर प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और प्रारंभिक कार्य आयोग के सदस्य/सदस्य-सचिव को सौंपा जाता है। विषय की प्रकृति और दायरे के आधार पर सुधार के प्रस्ताव के दायरे को ध्यान में रखते हुए शोध, डाटा और विचारों के संग्रह के तरीके तैयार किए जाते हैं।
- इस अवधि के दौरान आयोग की बैठकों में चर्चा से न केवल मुद्दों को स्पष्ट करने और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है बल्कि आयोग के सदस्यों के बीच आम सहमति तैयार करने में भी मदद मिलती है। आयोग में किये गए इस प्रारंभिक कार्य से जो निकलकर आता है वह समस्या को रेखांकित करने वाला और विचार करने योग्य मामलों का सुझाव देने वाला एक कार्य पत्र है। कभी-कभी, आपत्तियों और सुझावों को प्राप्त करने की दृष्टि से इसे जनता को और संबंधित हित समूहों/हितधारकों के बीच प्रसार के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर, सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रश्नावली रुचि समूहों/हितधारकों को भेजी जाती है।
- विधि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि कानून सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार करने में लोगों/हितधारकों के व्यापक वर्ग से परामर्श किया जाए। इस प्रक्रिया में आयोग पेशेवर निकायों और शैक्षणिक संस्थानों को साथ लाता है। सुधार के लिए प्रस्तावित नीतियों पर आलोचनात्मक राय प्राप्त करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

न्याय वितरण प्रणाली को मजबूती

22वें भारतीय विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:

- उन कानूनों की पहचान करें जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों का परीक्षण
- न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनुसंधान
- न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषय पर सरकार को अपने विचार बताना; किसी अन्य देश में अनुसंधान; केन्द्रीय अधिनियमों का सरलीकरण

विधि आयोग ने देश के सतत विकास की दिशा में कानून में सुधार और कानून के शासन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में पहल करते हुए हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है।

अंतिम रिपोर्ट

- एक बार जब डाटा और विचार/सुझावों को आत्मसात कर लिया जाता है तो आयोग उनका मूल्यांकन करता है और जानकारी का रिपोर्ट में उचित समावेशन के लिए उपयोग किया जाता है जो आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के मार्गदर्शन में लिखा जाता है। इसके बाद बैठक में पूर्ण आयोग द्वारा इसकी बारीकी से जांच की जाती है। एक बार रिपोर्ट और सारांश को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आयोग एक मसौदा संशोधन या एक नया विधेयक तैयार करने का निर्णय ले सकता है जिसे इसकी रिपोर्ट में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE G20 MILLETS 2023 Azadi Ka Amrit Mahotsav

ई-कोर्ट एमएमपी प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है और अदालत की दक्षता बढ़ा रही है ई-कोर्ट मोबाइल सेवा ऐप

- बिना किसी हाइफ़न या स्पेस के 16 अल्फ़ान्यूमेरिक केस नंबर रिकॉर्ड (सीएनआर) दर्ज करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करते ही केस की मौजूदा स्थिति और पूरा इतिहास सामने आ जाएगा।
- यदि आप मामले का सीएनआर नंबर नहीं जानते हैं तो इसे अन्य विकल्पों जैसे पाटी का नाम, वकील का नाम आदि द्वारा खोजा जा सकता है।

- यह स्पष्ट है कि कानून सुधार में आयोग के काम की सफलता लोगों और हितधारकों के व्यापक वर्ग से परामर्श करने और जनता और संबंधित हित समूहों से डाटा, विचार, सुझाव और संभावित जानकारी एकत्र करने की इसकी क्षमता पर निर्भर है। आयोग अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार नयी युक्तियों की तलाश में रहता है।
- आयोग हमेशा अपने विचाराधीन मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के सुझावों का स्वागत करता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

विधि आयोग की रिपोर्टें समय-समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में रखी जाती हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को अग्रेषित की जाती हैं। उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से रिपोर्टों को न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षणिक और सार्वजनिक विमर्शों में उद्धृत किया जाता है। ❑

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय और भारत का विधि आयोग

स्थायी लोक अदालत

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं उपलब्ध कराना

एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 22ए के तहत निर्धारित सेवाएं

- बिना किसी हाइफ़न या स्पेस के 16 अल्फ़ान्यूमेरिक केस नंबर रिकॉर्ड (सीएनआर) दर्ज करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करते ही केस की मौजूदा स्थिति और पूरा इतिहास सामने आ जाएगा।
- यदि आप मामले का सीएनआर नंबर नहीं जानते हैं तो इसे अन्य विकल्पों जैसे पार्टी का नाम, वकील का नाम आदि द्वारा खोजा जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए जाएं www.nalsa.gov.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हमारे नए प्रकाशन

Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास, जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन,
आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला की पुस्तकें, कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य

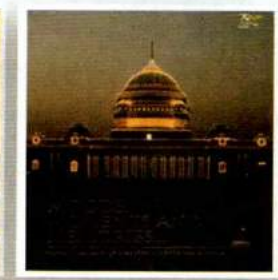

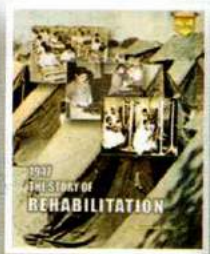

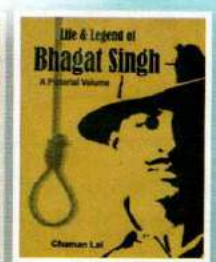

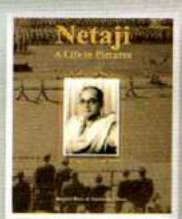

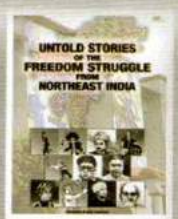

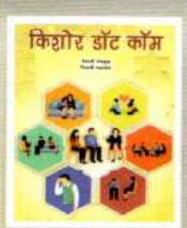

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

प्रत्यक्ष कर सुधार

कर नीति में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर विभिन्न कर सुधार और प्रशासनिक पहलें की जाती हैं। वांछित प्रभाव प्राप्त करने में हमेशा समय लगता है। विशेष रूप से कर की दर में कटौती से कम अवधि में कर संग्रह में कमी आती है। इसलिए, कर सुधारों की सफलता को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग विश्लेषण करने के बजाय एक निश्चित अवधि पर देखा जाना चाहिए। व्यापार की सुगमता भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कर नीतियों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि व्यापार की सुगमता की पहल के तहत कर कानूनों का आसानी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय | संयुक्त सचिव-(टीपीएल-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल: jstpl1@nic.in

आर्थिक वृद्धि एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए हर सरकार कार्य करती है। सरकार को नीतिगत पहलों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। विशेषकर विकासशील देशों को भी समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों और सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों के वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। सरकार की इन जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता काफी हद तक विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार द्वारा सृजित राजस्व की मात्रा पर निर्भर करती है। कराधान, इन उद्देश्यों के लिए राजस्व जुटाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है, क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक इंजीनियरिंग का एक साधन है। कर संग्रह से सरकार को लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और गरीबी, बेरोजगारी और धीमी गति से विकास होने की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है।

राजस्व संग्रह करते समय, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसका व्यापार और उद्योग के विकास पर असर न पड़े। कर दरों में वृद्धि करना या नए कर लगाना

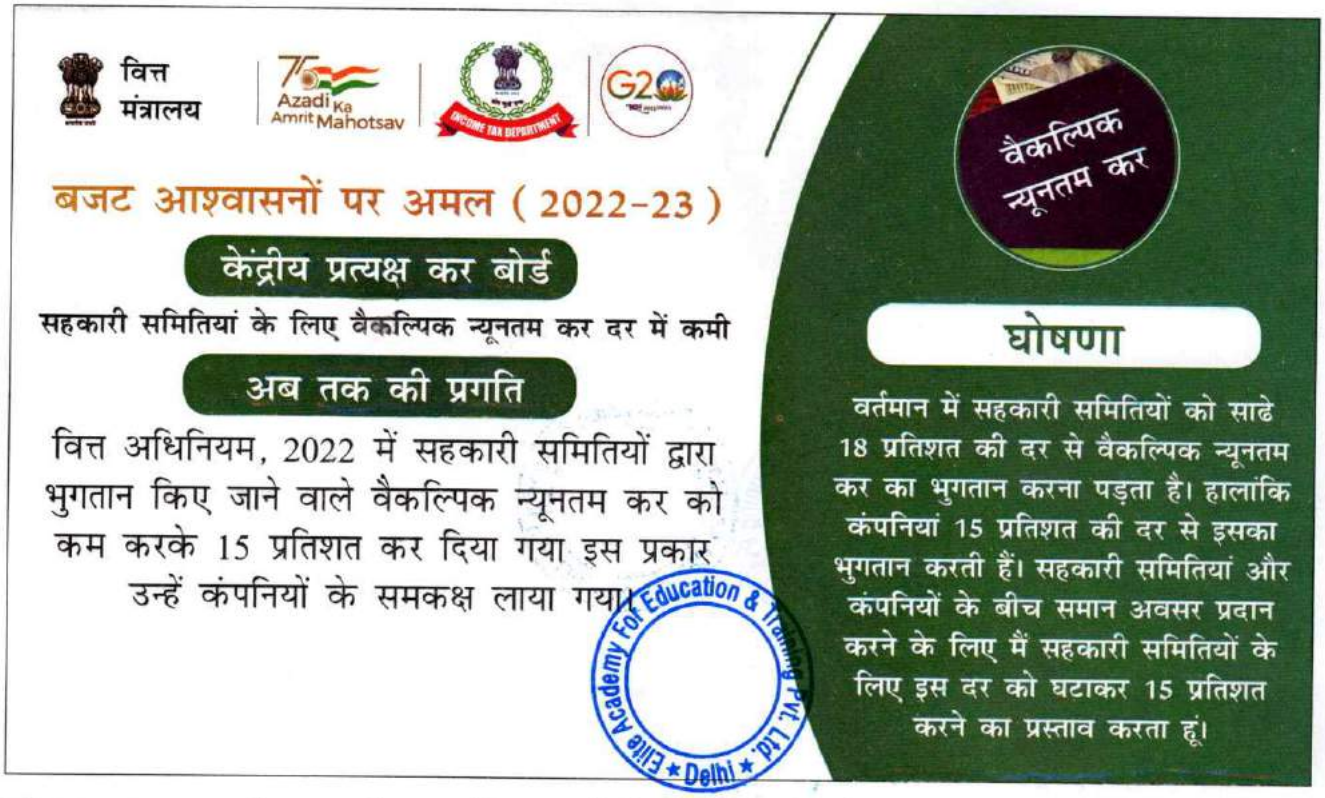

वित्त मंत्रालय

बजट आश्वासनों पर अमल (2022-23)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सहकारी समितियां के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर में कमी

अब तक की प्रगति

वित्त अधिनियम, 2022 में सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वैकल्पिक न्यूनतम कर को कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया इस प्रकार उन्हें कंपनियों के समकक्ष लाया गया।

घोषणा

वर्तमान में सहकारी समितियों को साढे 18 प्रतिशत की दर से वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि कंपनियां 15 प्रतिशत की दर से इसका भुगतान करती हैं। सहकारी समितियां और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं सहकारी समितियों के लिए इस दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

हमेशा कर राजस्व बढ़ाने का सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कर की दरें बढ़ाए बिना या नए कर लगाए बिना कर राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, यह हमेशा एक चुनौती रही है। यह सुनिश्चित करना कर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक अपने करों का उचित हिस्सा चुकाए। नए व्यवसाय मॉडल और नई प्रौद्योगिकी से कुशलतापूर्वक कर संग्रह सुनिश्चित करने में कर प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कर सुधार

प्रत्यक्ष कर में, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त रूप से कर सुधार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्थिर और पूर्वानुमानित कर व्यवस्था के माध्यम से कर संग्रह में प्रतिकूल प्रभाव के बिना वृद्धि हो। इस सुधार के निम्नलिखित चार स्तंभ इस प्रकार हैं:-

1. छूट/कटौती हटाना और कर की दरें कम करना
2. विभिन्न उपायों के माध्यम से कर आधार को व्यापक और गहन करना
3. आयकर विभाग में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
4. कर निश्चितता प्रदान करके मुकदमेबाजी को कम करना

छूट/कटौती हटाना और कर की दरें कम करना

अक्टूबर 2015 में आईएमएफ, ओईसीडी, यूएन और विश्व बैंक द्वारा जी20 विकास कार्य समूह की एक अध्ययन रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि विकासशील देशों में निवेश आकर्षित करने में कर प्रोत्साहन अक्सर अनावश्यक पाए जाते हैं; अर्थात्, कोई प्रोत्साहन न दिए जाने पर भी वही निवेश किए गए होते। ये कर प्रोत्साहन, विकासशील देशों में राजस्व में वृद्धि करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे अवांछनीय कर प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं - जो अधोगामी (ए रेस टू द बाटम) है।

लगभग उसी समय, भारत ने एक प्रमुख कर नीति सुधार की घोषणा की। तत्कालीन वित्त मंत्री ने 2015-16 के बजट के लिए लोकसभा में अपने बजट भाषण में घोषणा की कि :-

"...भारत में 30 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित दरों से अधिक है, जिससे हमारा घरेलू उद्योग अप्रतिस्पर्धी बन गया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट टैक्स का प्रभावी संग्रह लगभग 23 प्रतिशत है। हम दोनों मोर्चों पर हार जाते हैं, अर्थात् हमें उच्च कॉर्पोरेट कर व्यवस्था वाला माना जाता है, परंतु अत्यधिक छूट के कारण हमें वह कर नहीं मिलता है। छूट की व्यवस्था के कारण दबाव समूह, मुकदमें बढ़े हैं और राजस्व की हानि हुई है। इससे विवेकशीलता से बचने का माहौल बनता है। इसलिए, मैं अगले 4 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे उच्च स्तर का निवेश, उच्च वृद्धि और अधिक नौकरियां सृजित होंगी। कटौती की इस प्रक्रिया के साथ-साथ कॉर्पोरेट

करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाना और हटाना आवश्यक होगा जो संयोगवश बड़ी संख्या में कर विवादों का कारण बनते हैं।''

तदनुसार, छूट और कटौतियां हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। चूंकि मौजूदा निवेशों पर मिलने वाली छूट बनी रहने दी गई थी, इसलिए यह घोषणा की गई कि कर की दरें चार वर्षों में कम कर दी जाएंगी। इसके अलावा, एक ऐतिहासिक कर सुधार में, 20 सितंबर 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कर दरों को उन मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए जो निर्दिष्ट छूट/कटौतियों का लाभ नहीं लेती हैं, उनके विकल्प के अनुरूप 25.17 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित) तक कम कर दिया गया था। नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों (1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद शामिल की गई) जिन्होंने 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले विनिर्माण शुरू कर दिया (बाद में इसे 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया) के लिए 17.16 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित) की निम्न दर प्रदान की गई थी। इसे बाद में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से अधिनियमित किया गया। सहकारी समितियों के लिए इसी तरह की कम कर दरें प्रदान की गई हैं।

करदाताओं को कम कर दरों के साथ लेकिन छूट/कटौती के बिना नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने का विकल्प प्रदान करके 2020 में व्यक्तिगत आयकर में इसी तरह के सुधार किए गए थे। वित्त अधिनियम, 2023 ने नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कर दरों को और कम कर दिया है।

हालांकि, कॉरपोरेट्स के लिए प्रमुख सुधार के तुरंत बाद, अर्थव्यवस्था को कोविड में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई देश नए टैक्स लगाने की वकालत कर रहे थे। हालांकि, सरकार ने एक स्थिर कर व्यवस्था प्रदान करने का अपना संकल्प जारी रखा। कोविड के समय में अर्थव्यवस्था को संभालने और कोविड के बाद कर संग्रह में बढ़ी उछाल को कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सराहना मिली है। छूट/कटौतियों को खत्म कर टैक्स दरें कम करने के नतीजे भी दिखने शुरू हो गए हैं।

कर आधार का विस्तार और गहनता

एक कुशल कर प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी करदाता अपने करों का उचित हिस्सा अदा करें। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। ये हैं:

1. स्रोत पर नई कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधान शुरू किए गए हैं, जैसे व्यक्ति/एचयूएफ द्वारा किराए के भुगतान पर टीडीएस, ई-कॉमर्स संचालन पर टीडीएस, एक सीमा से ऊपर नकद निकासी पर टीडीएस, व्यक्ति/एचयूएफ द्वारा बड़े भुगतान पर टीडीएस, सामान की खरीद पर टीडीएस, व्यवसाय/पेशे के दौरान लाभ/अनुलाभ पर टीडीएस, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर टीडीएस, ऑनलाइन खेलों पर टीडीएस, कार की खरीद पर टीसीएस, माल की बिक्री पर टीडीएस, एलआरएस और विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज आदि की खरीद पर टीडीएस।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं कि उच्च निवल मूल्य वाले करदाता अपने करों का उचित हिस्सा चुकाएं, जैसे बाजार से जुड़े डिबेंचर और ऋण म्यूचुअल फंड की बिक्री पर मध्यस्थता को दूर करना, ऋण के रूप में वर्गीकृत व्यापार ट्रस्टों से रिटर्न के कराधान पर अस्पष्टता को दूर करना, आवासीय संपत्ति में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर बचाने पर सीमा लगाना, उच्च निवल मूल्य वाले करदाताओं के लिए उच्च अधिभार आदि।
3. काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, काले धन की समस्या से निपटने के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो विदेशों में छिपाई गई अघोषित विदेशी आय/संपत्ति है। बेनामी लेनदेन (निषेध) (संशोधन) अधिनियम, 2016 को बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था, जिसमें बेनामी संपत्तियों की वसूली के प्रावधान थे।
4. अघोषित आय/संपत्ति पर जानकारी एकत्र करने के लिए तृतीय-पक्ष सूचना संग्रहण तंत्र को मजबूत किया गया है।
5. नकद लेनदेन के स्थान पर डिजिटल लेनदेन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई संशोधन किए गए हैं।

आयकर विभाग में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह अपनी व्यापार सुगमता पहल के तहत कर कानूनों का आसान अनुपालन सुनिश्चित करे। रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है कि करदाता अपने करों के उचित हिस्से का भुगतान करें। जब करदाता स्वेच्छा से कर कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो नई रिपोर्टिंग या नए टीडीएस/टीसीएस प्रावधान लागू करने की आवश्यकता होती है। इससे अक्सर व्यापार करने में सुगमता के साथ अनुपालन और टकराव बढ़ता है। इस संघर्ष का सामना अक्सर सभी देशों में नीति-निर्माताओं को करना पड़ता है। हालांकि, प्रौद्योगिकी इस संघर्ष पर काबू पाने में काफी सहायक रही है। आयकर विभाग ने कई पहल की हैं जिससे करदाताओं को

Elite Academy Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

वित्तीय वर्ष	वर्तमान दरों पर जीडीपी (रुपये लाख करोड़)	प्रत्यक्ष कर संग्रह (रुपये लाख करोड़)	जीडीपी वृद्धि	प्रत्यक्ष कर संग्रह
2014-15	125.41	6.96	10.4 प्रतिशत	8.96 प्रतिशत
2015-16	135.67	7.42	8.25 प्रतिशत	6.63 प्रतिशत
2016-17	153.62	8.50	13.23 प्रतिशत	14.53 प्रतिशत
2017-18	170.98	10.03	11.30 प्रतिशत	18.00 प्रतिशत
2018-19	188.87	11.38	10.46 प्रतिशत	13.46 प्रतिशत
2019-20	200.75	10.51	6.29 प्रतिशत	-7.65 प्रतिशत
2020-21	198.00	9.47	-1.36 प्रतिशत	-9.85 प्रतिशत
2021-22	236.64	14.12	19.51 प्रतिशत	49.12 प्रतिशत
2022-23	272.41	16.61	15.12 प्रतिशत	17.63 प्रतिशत

(स्रोत: इन्कम टैक्स वेबसाइट से समय श्रृंखला डेटा)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

स्वेच्छा से कर कानूनों का पालन करने में मदद मिली है। ये सुधार इस प्रकार हैं:

1. पूर्व में, आकलनों को फिर से खोलने के लिए तीसरे पक्ष की सूचनाओं का उपयोग किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लंबे मुकदमे होते थे। अब तीसरे पक्ष की सूचनाएं वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में भरी जाती हैं जो करदाता को अपने कर रिटर्न प्रस्तुत करते समय दिखाई देती है। इस प्रकार, करदाता से आग्रह किया जाता है कि वह सारी आय को अपने टैक्स रिटर्न में शामिल करें और स्वेच्छा से उचित कर का भुगतान करें।
2. कुछ अतिरिक्त कर के साथ रिटर्न अपडेट करने की सुविधा के साथ एक ई-सत्यापन योजना शुरू की गई है। कुछ मामलों में, जो जोखिम मापदंडों के आधार पर चुने जाते हैं, यह योजना आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी और तीसरे पक्ष की जानकारी के बीच बेमेल विवरण को सत्यापित करने के लिए जांच का प्रावधान करती है। इससे करदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यकता पड़ने पर अपने रिटर्न को अपडेट करने का एक और अवसर मिलता है। इस प्रकार, करदाताओं को स्वेच्छा से अपने दायित्वों का पालन करने का एक और अवसर मिलता है।
3. प्रक्रिया में दक्षता लाने और करदाताओं को आयकर कार्यालय में आए बिना विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने की सुविधा प्रदान करने के लिए आयकर विभाग में मूल्यांकन और अपील की फेसलेस (faceless) प्रणाली शुरू हो गई है।
4. इसके अलावा, आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर ई-गवर्नेंस पहल में प्रगति की है, जहां एक ओर करदाताओं को एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी संचालित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और दूसरी ओर रिफंड जारी करने सहित कर रिटर्न की प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सीपीसी-आईटीआर, सीपीसी-टीडीएस, ई-फाइलिंग सिस्टम, रिफंड बैंकर योजना और ऑनलाइन कर भुगतान ऐसी प्रणाली है जिसने निर्बाध ऑनलाइन कर रिटर्न प्रस्तुति, करों का ऑनलाइन भुगतान, कर रिटर्न की त्वरित प्रक्रिया और रिफंड जारी करने की तीव्र गति सुनिश्चित की है। यह सब उपलब्धि प्रक्रियाओं की पुनः-इंजीनियरिंग और कटौतीकर्ताओं, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, तीसरे पक्ष की एजेंसियों, करदाताओं, कर पेशेवरों और कर प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करके प्राप्त की गई है।

कर निश्चितता प्रदान करके मुकदमों को कम करना

कर मुकदमों में सभी हितधारकों, अर्थात करदाताओं, कर प्रशासन, अदालतों और न्यायाधिकरणों का बहुत समय और संसाधन खर्च होते हैं। विवादों के शीघ्र समाधान से कर संग्रहण में दक्षता आती है। सरकार का प्रयास रहा है कि मुकदमे कम हों। इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) मूल्य निर्धारण अंतरण में मुकदमे को कम करने में एक सफलता की कहानी रही है। पिछले वर्ष रिकार्ड 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने कर विवादों को कम करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर निश्चितता प्रदान करने के लिए संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार, व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से परिपत्र/एफएक्यू जारी किए गए हैं।

रिटर्न अपडेट करने की सुविधा के साथ-साथ ई-सत्यापन योजना, जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है , ने कई मामलों

में पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के कारणों को कम कर दिया है। लगभग एक वर्ष के समय में, 30 लाख से अधिक अद्यतन रिटर्न दर्ज किए गए हैं और देय करों का भुगतान किया गया है। यदि इन सभी मामलों में पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किए जाने होते तो मुकदमे की प्रक्रिया लंबी हो जाती।

इन सुधारों के परिणाम

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रत्यक्ष कर सुधारों के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष कर में कर संग्रह में पिछले कुछ वर्षों में 1 से अधिक की उछाल के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब यह है कि लंबी अवधि में प्रत्यक्ष कर की वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कर संग्रहण में दक्षता के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है।

समय-समय पर विभिन्न कर सुधार और प्रशासनिक पहलें की जाती हैं। वांछित प्रभाव प्राप्त करने में हमेशा समय लगता है। विशेष रूप से कर दर में कटौती से अल्पावधि में कर संग्रह में कमी आती है। इसलिए, कर सुधारों की सफलता को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग विश्लेषण करने के बजाय एक निश्चित अवधि में देखा जाना चाहिए। अगर हम 2013-2014 से 2022-23 तक की अवधि लें तो नौ साल में जीडीपी 113.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 272.41 लाख करोड़ रुपये हो गई है, अर्थात 140 प्रतिशत की वृद्धि। इसी अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.39 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपये हो गया, अर्थात 160 प्रतिशत की वृद्धि दर, जिससे दीर्घकालिक प्रत्यक्ष कर में 1.15 का उछाल आया। इसमें 1 से अधिक कर के उछाल से कर प्रशासन की दक्षता और विभिन्न कर सुधारों की सफलता दिखाई देती है।

भविष्य की चुनौतियां

प्रत्यक्ष कर नीति सुधार की अब तक की यात्रा लाभप्रद रही है। लेकिन आगे चुनौतियां भी हैं। कर नीति में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि बनी रहे, उपरोक्त के साथ और अधिक सुधारों पर विचार किया गया है। कर मुकदमेबाजी को कम करने और प्रारंभिक चरण में कर निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सुधारों की भी आवश्यकता है। व्यापार करने में आसानी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कर नीतियों पर ध्यान देना जारी रखना आवश्यक है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना है वे उचित रूप से और स्वेच्छा से अपना कर अदा करें। ❑

Civil Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

YH-2450/2023

सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

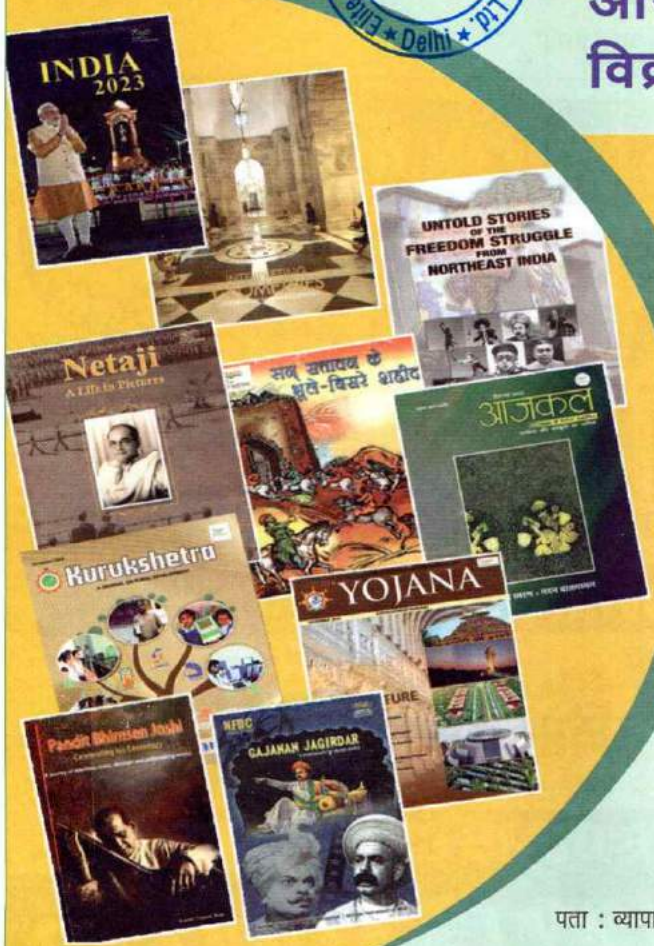

विशेषताएं :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा करना

व्यवसाय किस प्रकार संचालित होते हैं और कैसे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऐसा वातावरण बनाती है जहां व्यवसायों को लगातार सुधार करने, नवाचार करने और उपभोक्ता की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के साथ उसकी कार्यशील शाखा के रूप में, न केवल बाज़ारों को नियंत्रित करता है बल्कि व्यवसायों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर की सुविधा भी देता है। प्रतिस्पर्धा कानून स्पष्ट रूप से उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित नहीं करता है, यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी ताकतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग से मुक्त बाजार को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देता है।

रवनीत कौर | अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली। ईमेल: cci-chairman@nic.in

हालांकि ऐसा लग सकता है कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों में विरोधाभास है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखा जाता है, तो दोनों का दांव एकसमान होता है। प्रतिस्पर्धा कानून का उद्देश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के हितों की रक्षा करना है। यह सभी बाजार खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और एकसमान अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। यह कानून भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लागू किया जाता है, जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति और उपभोक्ता कल्याण की सुरक्षा के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

सीसीआई के कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यों को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना शामिल है। यह कानून प्रभुत्व और बाजार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने, निष्पक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं तथा ईमानदार व्यवसायों को

नुकसान पहुंचाने वाले कार्टेल और मिलीभगत वाले लेनदेन पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है।

मज़बूत प्रतिस्पर्धा तंत्र, व्यवसायों की वृद्धि का समर्थन करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और घरेलू उद्योगों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। यह विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने में भी मदद करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धा या उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव न डालें।

प्रतिस्पर्धा कानून और उपभोक्ता कानून, हालांकि इस मुद्दे को विभिन्न कोणों से देखते हैं, फिर भी इन दोनों का लक्ष्य उपभोक्ताओं की भलाई सुनिश्चित करना है। प्रतिस्पर्धा कानून का प्रवर्तन, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाले मूल्य वृद्धि, कम उत्पाद विकल्प और दबा हुआ नवाचार जैसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी तरीकों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीसीआई की पक्ष समर्थन पहल तथा नीतिगत सिफारिशें प्रतिस्पर्धा-समर्थक नीतियों को बढ़ावा देती हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती हैं। यह कानून, प्रतिस्पर्धी बाजार को बनाए रखते हुए, व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में दक्षता, नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करता है।

प्रतिस्पर्धा विनियमन, बाज़ार के व्यवधानों को दूर करता है, उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बाजार खिलाड़ियों से बचाते हुए व्यवसायों को बढ़ने के लिए स्वतंत्रता और प्रोत्साहन प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

बाज़ारों और उसके साधनों में सीसीआई की भूमिका

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित सीसीआई ने 2003 में अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सीसीआई, अधिनियम की प्रस्तावना में शामिल अपने मूल सिद्धांतों पर कायम है। यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो भारतीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसके अधिदेश में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना, सभी प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना शामिल है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जिसकी कार्यकारी शाखा सीसीआई है, न केवल बाजारों को नियंत्रित करता है बल्कि व्यवसायों के लिए निष्पक्ष व्यवहार और समान अवसर प्रदान करता है।

एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यकलाप अधिनियम, 1969 के विपरीत, आधुनिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, बाज़ार संस्थाओं द्वारा, भारत में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाले प्रभुत्व के, दुरुपयोग की जांच करने और उसे सही करने पर केंद्रित है। सीसीआई प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को संरक्षित करने और प्रमुख उपक्रमों द्वारा बहिष्कारी तथा शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाकर व्यापार स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों और तंत्रों का उपयोग करता है। कुछ प्रमुख नियोजित तरीकों में शामिल हैं:

1. **पक्ष समर्थन:** पक्ष समर्थन में व्यवसायों, उपभोक्ताओं और नीति-निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और जागरुकता अभियानों में संलग्न होना शामिल है। पक्ष समर्थन के प्रयासों में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी निकायों को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना भी शामिल है। सीसीआई हितधारकों द्वारा उपयोग और मार्गदर्शन के लिए पक्ष पोषण सामग्री प्रकाशित करता है। ये सामग्रियां उदाहरणात्मक हैं और समझने में आसान हैं। पक्ष पोषण पुस्तिका अंग्रेजी और हिंदी सहित 13 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। खरीद अधिकारियों के साथ पक्ष पोषण में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रियाओं पर ज़ोर दिया जाता है, जिससे खरीददारों के लिए कीमतें ऊंची हो जाती हैं। उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रमों पर विशेष ज़ोर प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन की लागत को कम करता

है और प्रतिस्पर्धा अनुरूप व्यवसायों में परिणाम देता है।

2. **प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों का पता लगाना:** प्रतिस्पर्धियों के बीच ऐसे समझौतों की निगरानी और जांच करना जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसे कार्टेल, मूल्य-निर्धारण, बोली-धांधली, बाजार आवंटन योजनाएं, पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव आदि। कार्टेल और बोली-धांधली रणनीति न केवल अंतिम उपभोक्ताओं को बल्कि व्यवसायों को भी इस तरह से नुकसान पहुंचाती है कि वे केवल विकल्प का भ्रम पैदा करते हैं, जबकि संक्षेप में, उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम करके व्यवसायों को समाप्त कर देते हैं।
3. **प्रभुत्व आकलन का दुरुपयोग:** प्रमुख कंपनियों के आचरण की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने या नए प्रवेशकों को बाहर करने के लिए अपनी बाज़ार शक्ति का लाभ न उठा सकें।
4. **डिजिटल उपकरण और डाटा एनालिटिक्स:** सीसीआई डाटासेट को संसाधित करने, संभावित उल्लंघनों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए उन्नत डिजिटल टूल और डाटा एनालिटिक्स का भी उपयोग करता है।
5. **जुर्माना और दंड:** प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए लोगों पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाना एक निवारक के रूप में कार्य करता है और अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। अधिपत्य की स्थिति के दुरुपयोग के मामलों में, सीसीआई पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। कार्टेल के लिए, सीसीआई ऐसे समझौते की निरंतरता के प्रत्येक वर्ष के लिए लाभ का तीन गुना या कारोबार की राशि का दस प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगा सकता है। सीसीआई द्वारा उद्यम के व्यक्तिगत अधिकारियों को भी दंडित किया जा सकता है। सीसीआई जुर्माना लगा सकता है जिसे तीन पूर्व वित्तीय वर्षों में संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त औसत कुल आय के 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है (जैसा कि भारत में कर अधिकारियों को प्रस्तुत उनके आयकर विवरणों में दर्ज किया गया है)।
6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** सीमा पार प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को संबोधित करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों और नियामक निकायों के साथ सहयोग करना। सीसीआई अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है।
7. **बाजार अध्ययन:** संभावित प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की पहचान करने, बाजार की गतिशीलता को समझने, प्रवेश में बाधाओं और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के लिए गहन बाजार अध्ययन करना। अध्ययन रिपोर्टें बाजार में सुधार की आवश्यकता वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती हैं और साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण का भी सुझाव देती हैं।
8. **विलय नियंत्रण:** प्रतिस्पर्धा पर विलय, अधिग्रहण और एकीकरण के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए इनकी समीक्षा करना। सीसीआई मूल्यांकन करता है कि क्या प्रस्तावित लेनदेन उपभोक्ता कल्याण को नुकसान पहुंचाते हुए प्रतिस्पर्धा (एएईसी) पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। सीसीआई त्वरित और निर्णायक तरीके से विलय, अधिग्रहण और एकीकरण की जांच करता है। ग्रीन चैनल जैसे प्रावधान व्यापार में आसानी प्रदान करते हैं और हितधारकों के बीच विश्वास की सुविधा प्रदान करते हैं।
9. **उदारता कार्यक्रम:** पार्टियों को आगे आने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यों में भागीदारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सहयोग के एवज में अक्सर उनका दंड कम कर दिया जाता है।
10. **उपाय:** सीसीआई द्वारा पहचानी गई प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियों को सुधारात्मक

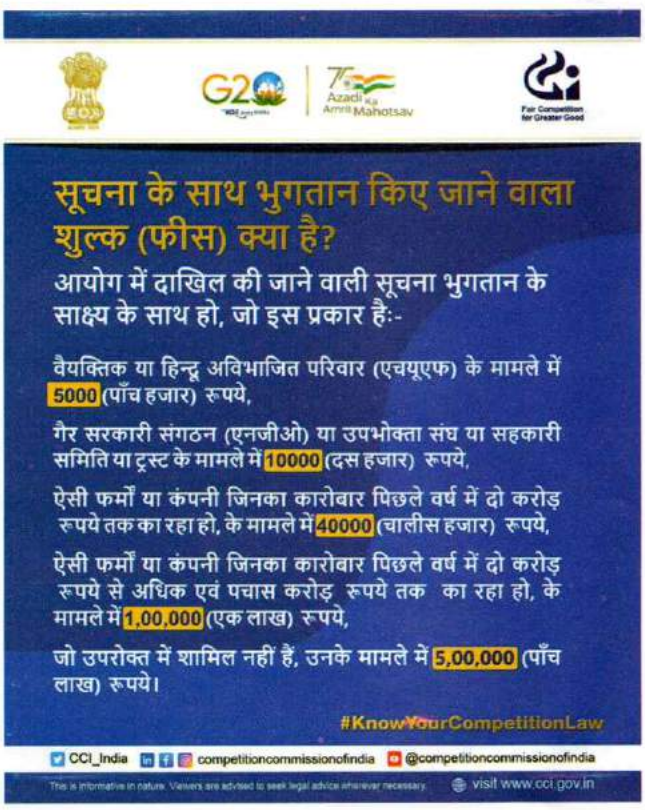

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

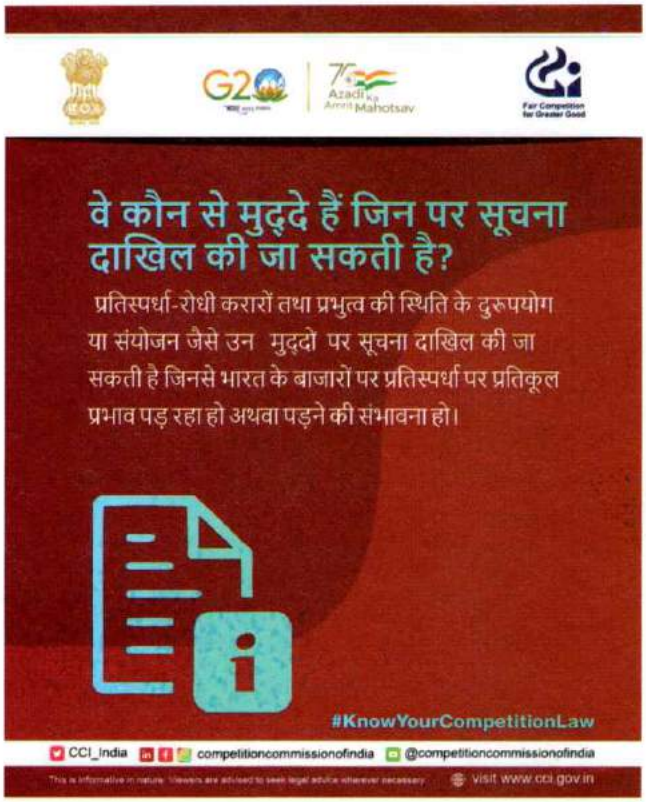

कार्रवाई करने, परिसंपत्तियों का विनिवेश करने या कंपनी का संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सीसीआई, इन उपायों और तंत्र के ज़रिए उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से बचाता है और प्रतिस्पर्धी बाज़ारों, आर्थिक विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देता है।

प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संबंध:

प्रतिस्पर्धा कानून हालांकि स्पष्ट रूप से उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित नहीं करता है, यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी ताकतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग से मुक्त बाजार को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देता है। यद्यपि दोनों का दृष्टिकोण उपभोक्ता कानूनों से अलग है, फिर भी उद्देश्य एकसमान रूप से उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करना है। प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता नीतियां बाज़ार की विफलताओं को ठीक करती हैं और प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं; उपभोक्ता-विशिष्ट कानून, मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अधिकारों की हिमायत करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा कानून आपूर्ति पक्ष पर जोर देते हैं, उपभोक्ताओं को विविध विकल्पों और सस्ती कीमतों की गारंटी देते हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा न्यूनतम लागत पर उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके उपभोक्ता कल्याण के लिए बुनियादी स्तंभ के रूप में कार्य करती है। प्रतिस्पर्धा कानून आपूर्ति पक्ष से बाज़ार में प्रतिस्पर्धी स्थितियों को बनाए रखकर उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विकल्प बनाए रखने का प्रयास करता है। संक्षेप में, वे उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्थापित करने में एक-दूसरे के सहायक हैं और उनके कार्यों द्वारा एक-दूसरे के पूरक हैं, जो सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद बड़े बाजार सुधार का इरादा रखते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों से संकेत लेते हुए, दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है ताकि यह कहा जा सके कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एक मौलिक स्तंभ है जिस पर उपभोक्ता कल्याण की बेल बढ़ती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर उत्पादों और सेवाओं के बीच चयन के लिए सबसे अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है।

प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय के बीच संबंध

व्यवसाय और प्रतिस्पर्धा के बीच संबंध बाजार अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत पहलू है। व्यवसाय कैसे संचालित हों और एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करें, यह तय करने में प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिस्पर्धा ऐसा माहौल बनाती है जहां व्यवसायों को लगातार सुधार, नवाचार और उपभोक्ता की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वास्तव में, अच्छी तरह से कार्यान्वित प्रतिस्पर्धा व्यवस्था उद्यमशील बाजारों के लिए उत्प्रेरक है और भारत का वर्तमान स्टार्टअप अर्थव्यवस्था सक्रिय प्रतिस्पर्धा विनियमन तंत्र का लाभ उठा रही है, जो यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा योग्यता पर आधारित हो ताकि

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

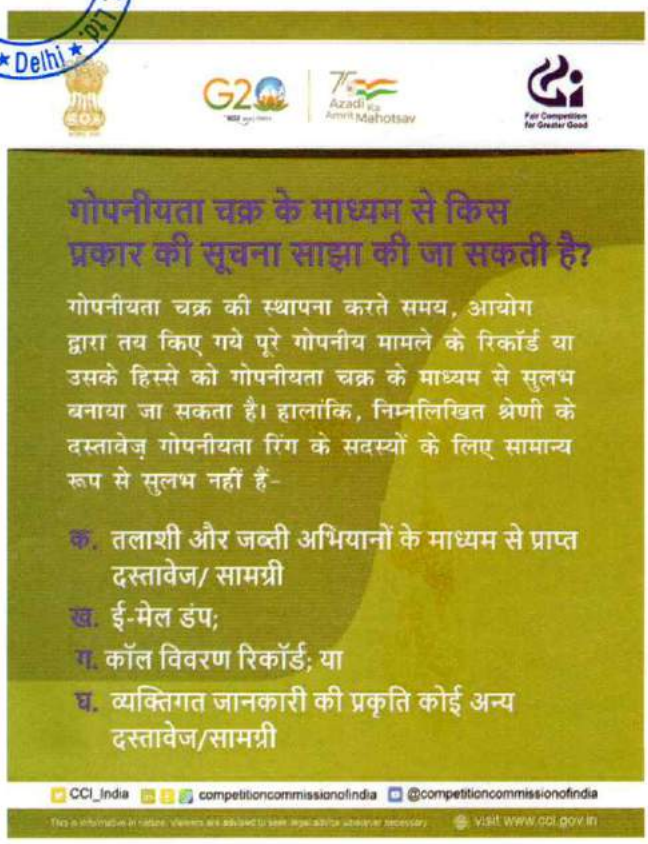

उद्यमशीलता ऊर्जा और निवेश बढ़ सके। डिजिटीकरण के वर्तमान युग में भी, सीसीआई की प्रवर्तन और पक्ष समर्थन प्रणाली इस बात को प्राथमिकता देती है कि डिजिटल क्षेत्र में बाजार के नतीजे बाजार ताकतों के निष्पक्ष खेल से प्रेरित हों और दक्षता तथा आर्थिक अवसर के उच्चतम क्रम में डिजिटल क्रांति का लाभ लेने के लिए खिलाड़ियों के एक छोटे समूह की स्व-स्थायी, प्रतिस्पर्धा-विरोधी रणनीतियों में न उलझें।

इसके अलावा, स्थानीय बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादकता तथा वृद्धि होती है और घरेलू व्यवसायों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा-विरोधी अप्रभावकारिता के बोझ से दबा विकृत बाजार घरेलू सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को नुकसान पहुंचाता है और बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत में प्रतिस्पर्धा विनियमन के विधायी ढांचे और सीसीआई के लिए उपलब्ध सहायकों के साथ, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा नवाचार, दक्षता और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देती है, व्यवसायों को लगातार सुधार करने और बेहतर उत्पादों तथा सेवाओं की पेशकश करने के लिए मजबूर करती है।

व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच एक लिंकिंग कानून के रूप में, प्रतिस्पर्धा कानून को दोनों के लिए एक वरदान कहा जा सकता है। व्यावसायिक पक्ष पर प्रतिस्पर्धा, व्यवसायों को उपभोक्ताओं की जरूरतों को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए नए उत्पाद या सेवाएं विकसित करने में मदद कर सकती है, जो बदले में उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्पों तक पहुंच प्रदान करती है। ❑

संदर्भ

1. व्यवसायों को होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क
2. पक्ष समर्थन सामग्री, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
3. उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा नीति का लाभ; व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केन्द्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों को मज़बूती प्रदान करना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत जनता और उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में लेते हुए, अन्य बातों के अलावा, उनके हितों के लिए हानिकारक झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

वैश्वीकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। अन्य बातों के अलावा यह ऑनलाइन लेनदेन में शामिल उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने 'उपभोक्ता' की परिभाषा के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया है जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान या सेवाएं खरीदते हैं या उनका लाभ उठाते हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में मौजूद नहीं था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विज्ञापन की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से किया गया कोई भी ऑडियो या विजुअल प्रचार, प्रतिनिधित्व, विज्ञापन या घोषणा को भी शामिल किया गया है।

सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने और ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित या शोषित होने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों के अनुसार विज्ञापनों का अनुमोदन करने के लिए यथोचित

my GOV मेरी सरकार

उपभोक्ताओं को अधिक शक्ति

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू (1/4)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ताओं के विवाद का समय पर समाधान और निपटान प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया।

नया अधिनियम निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त और संरक्षित करता है:

- उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- मध्यस्थता
- उत्पाद संबंधी दायित्व
- ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग पर नियम
- मिलावटी और नकली सामान के लिए जुर्माना

my GOV मेरी सरकार

उपभोक्ताओं को अधिक शक्ति

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू (2/4)

उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षा और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना।

सीसीपीए को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार:

- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों/अभियोजन की जांच
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश
- अनुचित व्यापार की कार्यप्रणाली और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश
- भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना

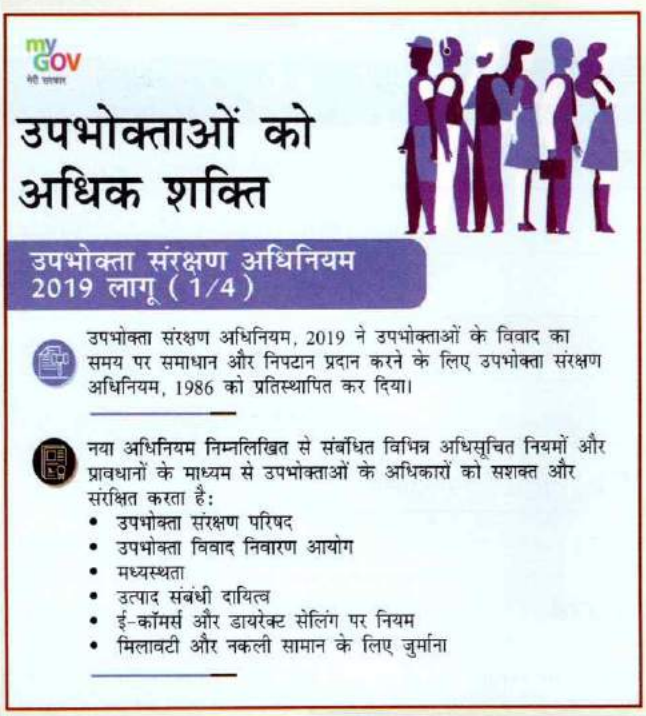

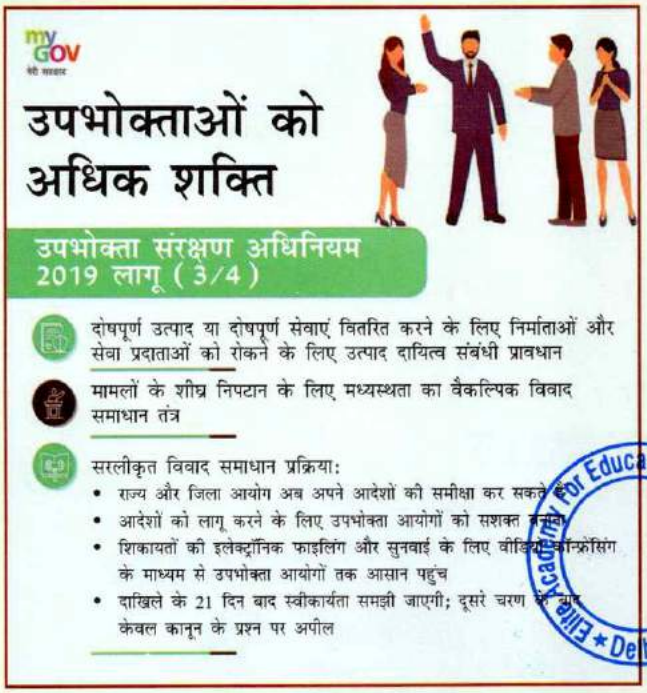

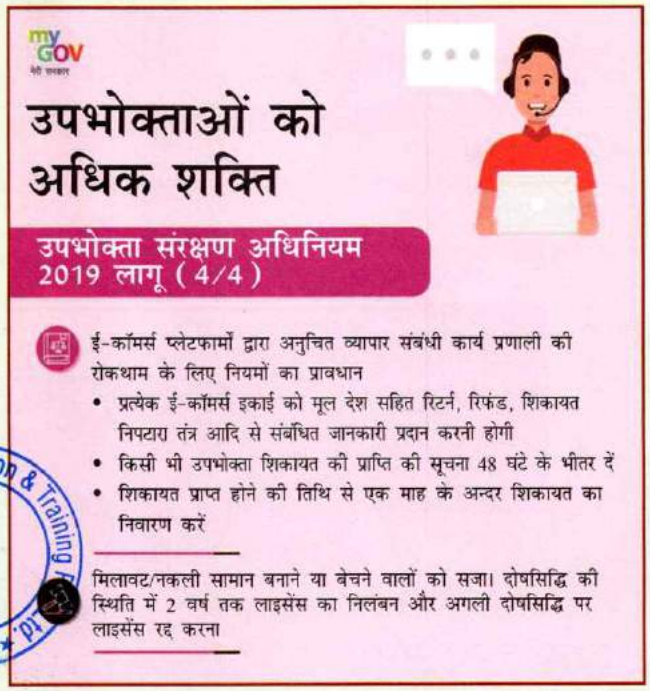

सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि विज्ञापन के साथ किया गया अनुमोदन उस व्यक्ति, समूह या संगठन की वास्तविक, यथोचित वर्तमान राय को प्रतिबिंबित करे और निर्धारित वस्तु, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी, अनुभव पर आधारित हो और अन्यथा भ्रामक नहीं हो। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहां अनुमोदनकर्ता और अनुमोदित उत्पाद के व्यापारी, निर्माता या विज्ञापनदाता के बीच कोई संबंध मौजूद है जो अनुमोदित वस्तु के मूल्य या विश्वसनीयता को वास्तव में प्रभावित कर सकता है और यह संबंध दर्शकों द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित नहीं है तो इस संबंध का वस्तु के अनुमोदन करने पर पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा।

सीसीपीए ने अन्य बातों के अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को उन उत्पादों या सेवाओं के निर्माण, बिक्री या लिस्टिंग से दूर रहने की सलाह जारी की है जो उपभोक्ताओं के जीवन के लिए जोखिमपूर्ण हैं जिसमें कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री और वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री और सुलभ उपलब्धता शामिल है। इसने सभी मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को ई-कॉमर्स नियम, 2020 के अनुसार विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रदर्शित करने की सलाह दी है। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति आगाह करते हुए दो सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं जिनमें वैध आईएसआई मार्क नहीं होता है और वे अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हैं जैसे हेलमेट, प्रेशर कुकर, रसोई गैस सिलेंडर और अन्य घरेलू सामान जिसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी के साथ घरेलू गैस स्टोव आदि।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अपने दायरे में स्पष्ट रूप से ई-कॉमर्स लेनदेन शामिल करता है जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री के रूप में ई-कॉमर्स को परिभाषित करता है।

उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ ई-कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं।

विभाग ने अनुचित व्यापार प्रथाओं की उत्पत्ति का संज्ञान लिया है जिन्हें 'डार्क पैटर्न' के रूप में जाना जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं को ऐसे विकल्प चुनने के लिए धोखा देने, मजबूर करने प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन और लुभावनी संरचना का उपयोग करना शामिल है जो उनके अच्छे हित में नहीं हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों से आग्रह किया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस में किसी भी ऐसे डिजाइन या पैटर्न को शामिल करने से दूर रहें जो उपभोक्ताओं की पसंद के साथ खिलवाड़ कर सकता है या उन्हें धोखा दे सकता है और डार्क पैटर्न की श्रेणी में आ सकता है। ❑

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुंबकम
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

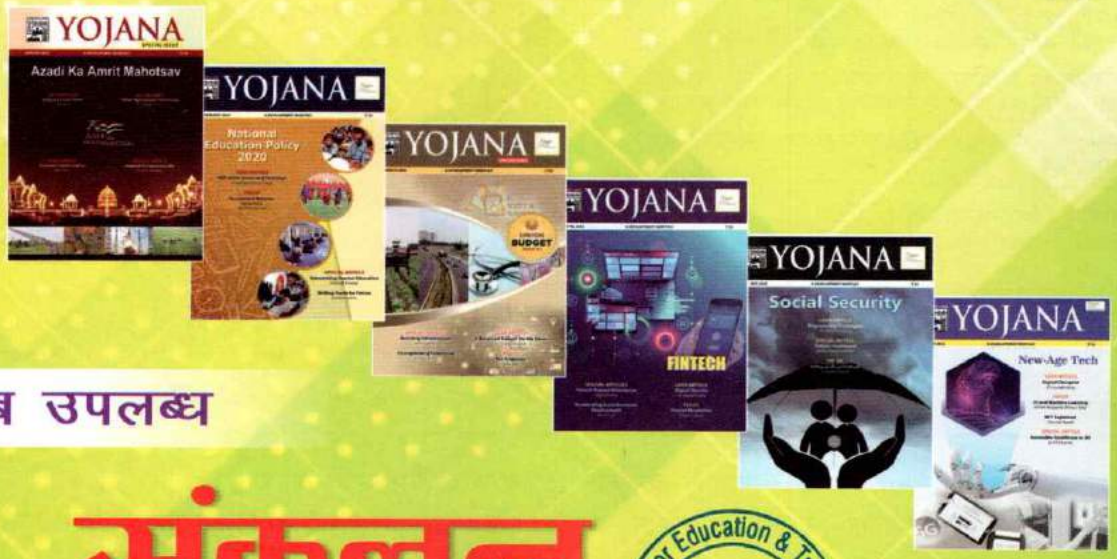

अब उपलब्ध

संकलन 2022

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

योजना (अंग्रेजी)

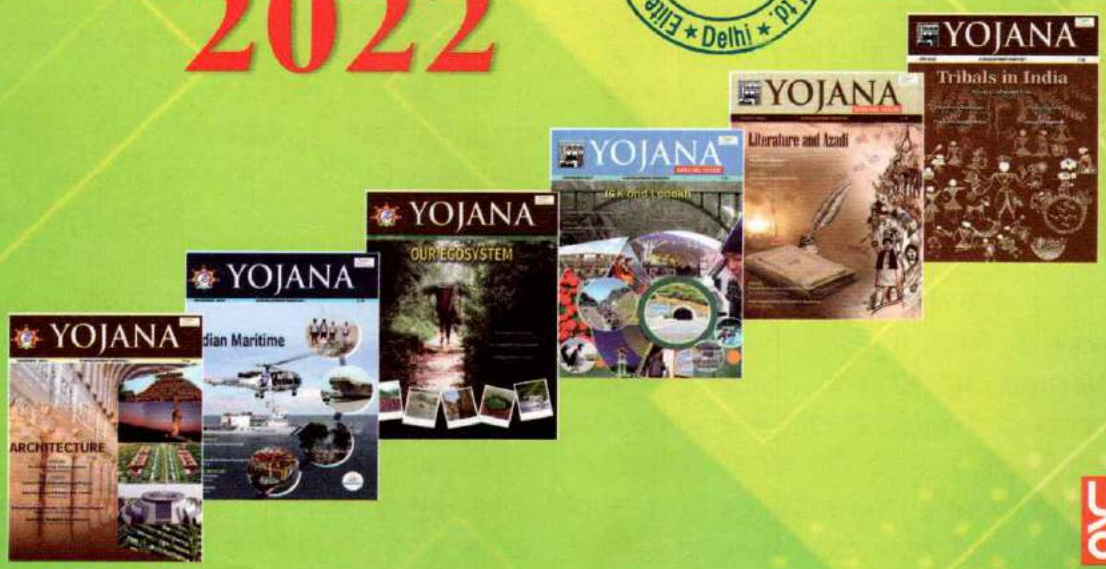

जनवरी से दिसंबर 2022
मूल्य : ₹300/-

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

लोकतंत्र को मज़बूत करने में संवैधानिक निकायों की भूमिका

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

संवैधानिक निकाय एक संस्था के रूप में लोकतंत्र की नींव हैं। उनकी उपस्थिति भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन में एक महत्वपूर्ण कारक रही है।

प्रोफेसर जीएस बाजपेयी | कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली। ईमेल: vc@nludelhi.ac.in

डॉ राघव पांडे | सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली।

लोकतंत्र एक संस्था के रूप में विकसित हुआ है और अधिक सहभागी बन गया है। जैसा कि सर्वविदित है, मतदाताओं की विशाल संख्या के कारण भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की कल्पना कुछ मौलिक सिद्धातों पर आधारित शासन के रूप के रूप में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को शासन संरचना का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे शासन व्यवस्था के अधीन और लाभार्थी हैं। इसके अलावा, कई अध्ययनों से पता चला है कि समूह में लिए गए निर्णय, व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों की तुलना में अधिक संतुलित और बेहतर विचार वाले होते हैं और उन्हें हितधारकों की जरूरतों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र के अंतर्निहित सिद्धांत और संरचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लोकतांत्रिक आदर्शों को स्थापित करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें कायम रखने के लिए संवैधानिक निकायों की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक लोकतांत्रिक निकाय

निर्वाचित विधायिका है जो कानून बनाती है। भारतीय संसद, जहां दोनों सदन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, एक संवैधानिक निकाय के रूप में यह प्राथमिक कार्य करती है। लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि लोग उन कानूनों द्वारा शासित होंगे जिन्हें बनाने में उनकी भूमिका रही है। इस प्रकार, विधायिका के वे सदस्य जिन्हें जनता ने चुना है, जनता के लिए कानून बनाते हैं। तदनुसार, एक निर्वाचित विधायिका लोकतंत्र की स्थापना और मजबूती के लिए 'अनिवार्य शर्त' है, जो बहुमत से निर्णय लेने वाली प्रणाली पर कार्य करती है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र केवल एक एकल विचार के रूप में सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह उस सिद्धांत की स्वीकार्यता का परिणाम है कि एक विषय के रूप में व्यक्ति, लोकतांत्रिक निर्णय लेने के केंद्र में होता है। नतीजतन, इससे यह समझ पैदा होती है कि एक व्यक्ति के भी कुछ मौलिक या मानवाधिकार हैं जो अपरिहार्य हैं और लोकतंत्र या संविधान के आगमन से पहले के हैं। इस प्रकार, इन अधिकारों को व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षित किया जाना चाहिए, और इन्हें विधायिका के माध्यम से बहुमत की इच्छा से भी छीना नहीं जा सकता है। इसलिए, संविधान को इन अधिकारों को मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें छीन न सके। हमारे संविधान के भाग-3 में इसे मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में एक और आवश्यक संवैधानिक निकाय की आवश्यकता है।

न्यायपालिका व्यक्तिगत स्तर पर अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए है जो केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं हैं। संवैधानिक निकायों के रूप में न्यायालयों का महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करने का है, जिसका अर्थ कभी-कभी लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाना होता है। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने परम पावन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रसिद्ध मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत विकसित किया, जहां संविधान की आवश्यक विशेषताओं को संसद के संशोधन के अधिकार से परे रखा गया था। अदालतें कानूनों और अन्य संवैधानिक निकायों के माध्यम से बनाए गए सभी अधीनस्थ निकायों पर भी निगरानी रखती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने निर्धारित कार्यों के अनुरूप कार्य करें।

हमें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान बनाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से, हमारे पास अन्य न्यायक्षेत्रों की तुलना में अधिक संवैधानिक निकाय हैं। हमारे संवैधानिक संस्थापकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि कानून का शासन हमारी शासन प्रणाली में गहराई से अंतर्निहित हो। तदनुसार, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय आदि को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लाभ कई गुना हैं। स्थायित्व इन निकायों में आने वाले लोगों के कार्यों और आकांक्षाओं में स्थिरता और पूर्वानुमेयता को जन्म देता है। ये सभी कानून के शासन की आवश्यक विशेषताएं हैं, जिसे प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना चाहती है। एक अवधारणा के रूप में कानून के शासन को एक राजा द्वारा शासन की विरोधी अवधारणा के साथ जोड़कर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जिसमें राजा न्यायिक निर्णय द्वारा शासन कर सकते हैं और कानूनी रूप से मनमाने, विवेकगत और यहां तक कि मनमर्जी निर्णय भी ले सकते हैं जिन्हें कानून की तरह लागू किया जाएगा।

कानून के शासन वाली व्यवस्था में, कानून सर्वोच्च है, प्रत्येक व्यक्ति और संस्था इसके अधीन है, और विवेकगत तथा मनमाने निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए, सरकार के निर्णय को कई स्तरों पर उचित ठहराया जाना चाहिए। सबसे पहले, एक निर्वाचित निकाय के रूप में संसद को उस निर्णय पर मतदान कराना होगा। दूसरे, अगर एक भी व्यक्ति को लगता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वे उस कानून को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार, संवैधानिक निकाय कानून के शासन को संरक्षित करते हैं और अन्यत्र की तुलना में अधिक निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं।

लोकतंत्र में सरकार के किसी भी कार्य को वैधता की आवश्यकता होती है। चूंकि संवैधानिक निकाय सरकार के अंग हैं, इसलिए उनके कार्यों के लिए लोकतांत्रिक वैधता की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक वैधता का अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य उचित और वैध है जिसके पीछे लोगों की इच्छा शक्ति है। इसी कारण लोग संसद का चुनाव करते हैं, और इसके द्वारा पारित कानून वैध और लागू करने योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, जब सरकार किसी इकाई को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, तो उस कार्य की अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वैधता भी होगी। इस प्रकार, संवैधानिक निकायों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक वैधता वाले पदाधिकारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाएं एक संस्था के रूप में लोकतंत्र की नींव हैं। संसद लोकतंत्र की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्थापित करती है; न्यायपालिका लोकतंत्र के मूल पहलुओं की रक्षा करती है; चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग भी लोकतांत्रिक आदर्शों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निकायों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कानून का शासन सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद की है। ❑

Mc Graw Hill

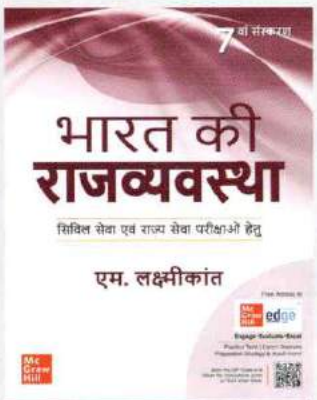

ISBN: 9789355325334
₹999/-

यू.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु सर्वोत्तम मार्गदर्शक

भारत की राजव्यवस्था, 7/e लेखक: एम लक्ष्मीकांत

मुख्य विशेषतायें

- भारत के संपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले 92 अध्याय
- नए अध्यायों में विधि आयोग, बार काउंसिल, परिसीमन आयोग, विश्व संविधान, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि का समावेश
- 9 प्रासंगिक परिशिष्ट
- नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार संशोधित अध्याय
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्नों का समावेश
- सिविल सेवा के उम्मीदवारों, कानून के छात्रों, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के छात्रों के लिए वन स्टॉप समाधान
- Mc Graw edge पर उपयोगी परिशिष्ट, वीडियो, अभ्यास प्रश्न

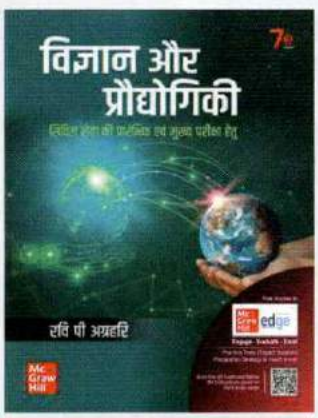

ISBN: 9789355325549
₹720(T)/-

यू.पी.एस.सी. प्रारंभिक, 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पूछे गए 14 में से 9 से अधिक प्रश्न इस पुस्तक से

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 7/e लेखक: रवि पी अग्रहरि

With free access to
Mc Graw Hill edge™
ENGAGE · EVALUATE · EXCEL

Scan to explore McGraw Hill Edge

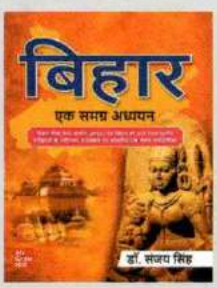

बिहार लोक सेवा आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित पाठ्य सामग्री

बिहार: एक समग्र अध्ययन, 1/e
लेखक: डॉ संजय सिंह

ISBN: 9789355323798
₹450(T)/-

UP PSC (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु
उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, 3/e
लेखक: राकेश सारस्वत

ISBN: 9789355324962
₹420/-

Toll Free Number: 18001035875 | support.india@mheducation.com | www.mheducation.co.in

YH-2446/2023

प्रशासनिक सुधार

भारत ने राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियां चलाने और समावेशी राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से नई पीढ़ी के लिए अनेक प्रशासनिक सुधार अपनाए ताकि समय की कसौटी पर परखी जा चुकी प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार लाए जा सकें।

वी श्रीनिवास

राजस्थान कॉडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी एवं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जनशिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में सचिव, साथ ही राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में महासचिव पद पर कार्यरत। ईमेल: vsrinivas@nic.in

Lal Bahadur Shastri Academy For Education & Training Pvt. Ltd. New Delhi

पिछले दशक में सरकार में क्रांतिकारी सुधार अपनाए गए हैं तथा ई-गवर्नेंस मॉडलों की मदद से सरकार के साथ नागरिक इंटरफेस को सुगम बनाकर सरकार और नागरिकों के बीच और अधिक निकटता लाना संभव हुआ है। देश के सार्वजनिक संस्थानों को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है जिससे लाखों भारतीयों को लाभ पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना और पासपोर्ट सेवा केंद्रों से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और खुलापन लाने में सफलता मिली है।

प्रधानमंत्री ने 'अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार' की नीति अपनाई है जिसके अंतर्गत 'डिजिटली सशक्त नागरिक' और 'डिजिटली परिवर्तित संस्थान' की परिकल्पना पर बल दिया जा रहा है तथा देश के प्रशासनिक ढांचे के आकार और स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि ''प्रौद्योगिकी में सरकार और लोगों को निकट लाने की अपार क्षमता है। अब टेक्नोलॉजी नागरिकों को सशक्त बनाने का जोरदार साधन बन चुकी है तथा इसकी मदद से दैनिक कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना संभव हो गया है। विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण और संस्थानों में डिजिटल बदलाव लाने की दिशा में मजबूती से बढ़ रहे हैं।''

भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने के उद्देश्य से नई पीढ़ी के सुधारों को अपनाने का आह्वान किया है। इन सुधारों में सचिवालय की कार्यप्रणाली में सुधार, देशव्यापी स्वच्छता अभियान, शासन और सेवाओं की बेंचमार्किंग, जन शिकायतों का निवारण और सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार, प्रतिभा को मान्यता और सुशासन प्रणालियों की स्थापना आदि शामिल हैं। संगठनात्मक सुधार और कार्मिक प्रशासन में मिशन कर्मयोगी, समानान्तर भर्ती, त्वरित प्रोन्नति नीतियों, सुशासन प्रणालियों के अनुकरण के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन तथा जन-प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के माध्यम से शानदार कार्य को मान्यता देकर प्रशासन में सुधार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनशिकायतों का त्वरित निवारण

केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों में अपनाया गया है। अनेक केंद्रशासित प्रदेशों में भी सीपीजीआरएएमएस योजना लागू की जा रही है। इस समय 17 लाख नागरिकों ने जनशिकायतें दर्ज कराने के लिए सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकरण करा लिया है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 84,449 शिकायत अधिकारी

और 950 सुनवाई (अपील) अधिकारी शामिल हैं। 2022 में सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 18,19,104 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इनमें से 15,68,097 शिकायतों का निपटारा भी हो चुका था। 11,29,642 शिकायतों का समाधान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने किया था और 4,38,455 शिकायतें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने निपटाई थीं। केंद्रीय मंत्रालय जहां 2021 में औसतन 32 दिन में शिकायत का समाधान करते थे वहीं 2022 में इन्हें इस काम में सिर्फ 27 दिन लगते थे। 2022 में 1,71,509 अपील (आवेदन) प्राप्त हुई थीं जिनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा काम का निपटान हो गया था। 2023 में (जून, 2023 तक) सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 10,75,247 शिकायतें मिलीं जिनमें से 7,09,569 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बारे में और 3,65,680 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में थीं। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 7,23,067 शिकायतें और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 3,64,468 शिकायतें निपटाई। 14 महीने लगातार एक लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा करके केंद्रीय सचिवालय में जून, 2023 में कुल बकाया शिकायतों की संख्या 57,848 थी जो अब तक की सबसे कम संख्या है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 की अवधि में घटकर सिर्फ 19 दिन रह गया।

शिकायत निपटान की गुणवत्ता सुधारने और इसमें लगने वाला समय कम करने के उद्देश्य से अपनाए गए 10 चरणों वाले सीपीजीआरएएमएस सुधारों का खासा प्रभाव हुआ है। कहा जा सकता है कि 10 चरणों वाले सीपीजीआरएएमएस सुधारों से सद्भाव, सहानुभूति और विज्ञान-आधारित समाधान मिलने लगे हैं जिससे शिकायतों का निपटान भी तेजी से और प्रभावी ढंग से हो रहा है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की संसद में मार्च, 2023 में प्रस्तुत 127वीं रिपोर्ट में शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता सुधारने और उनमें लगने वाला समय कम करने की दिशा में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत (डीएआरपीजी) द्वारा अपनाई गई 10-चरणों वाली सुधार प्रक्रिया की सराहना की गई थी। संसदीय समिति ने शिकायतों के निपटान की दर में तेजी आने की भी सराहना की जो बढ़कर प्रति माह एक लाख से अधिक हो गई थीं। संसदीय समिति ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि विभाग ने एक देश-एक पोर्टल, क्षेत्रीय भाषाओं में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, शिकायत निवारण सूचकांक (इंडेक्स) बनाने, शिकायतें दूर करने का समय 45 दिन से 60 दिन और फिर 30 दिन करने, एपीलेट (सुनवाई) तंत्र शुरू करने, सर्वोत्तम योजना को अधिक मजबूत बनाने, फीडबैक व्यवस्था संचालित करने और सीपीजीआरएएमएस डैशबोर्ड लागू करने जैसी अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी हैं।

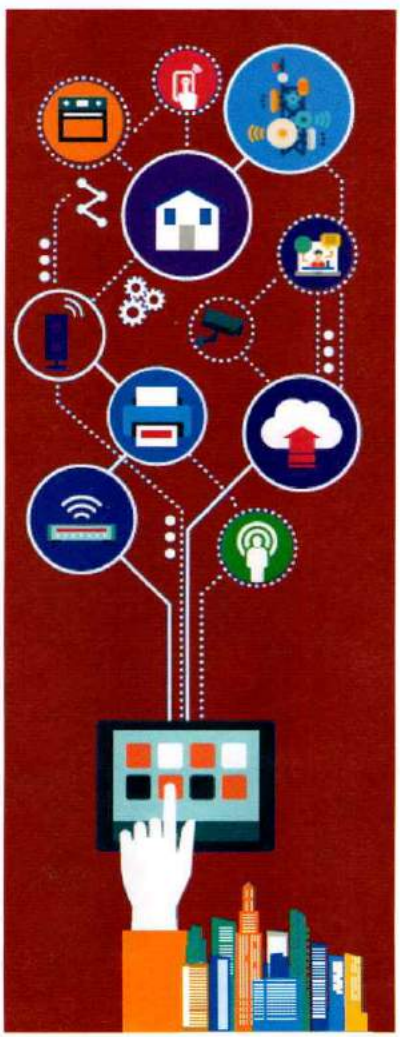

शिकायतों को बेंचमार्क करना

शिकायतों को बेंचमार्क करना नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों का अहम अंग है। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग सुशासन इंडेक्स (जीजीआई) के जरिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का द्विवार्षिक आकलन करता है, जिला स्तर पर जिला सुशासन इंडेक्स की मदद से आकलन किया जाता है और राष्ट्रीय ई-सेवा डिलीवरी आकलन द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने का आकलन किया जाता है। सुशासन इंडेक्स प्रारूप में 10 क्षेत्र और 58 सूचक (संकेतक) कवर होते हैं और ये व्यापक प्रारूप के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्पर्धात्मक तस्वीर पेश करते हैं। जीजीआई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में विभाजित करता है जो हैं केंद्रशासित प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य और अन्य राज्य: ग्रुप ए और ग्रुप बी। जीजीआई 2021 के अनुसार 20 राज्यों ने जीजीआई 2019 सूचक स्कोर के मुकाबले अपना कंपोजिट स्कोर बेहतर किया है। जीजीआई 2021 की कंपोजिट रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर रहा है तथा महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने 2019-2021 की अवधि में जीजीआई संकेतकों में 8.9 प्रतिशत सुधार किया। डीएआरपीजी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के सहयोग से जिला सुशासन इंडेक्स प्रकाशित किया जिसमें वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए क्षेत्र विशेष के हिसाब से ही संकेतक प्रयोग किए गए थे। राष्ट्रीय ई-सेवा डिलिवरी आकलन (NeSDA) से देशभर में ई-सेवा वितरण की स्थिति का आकलन होता है। राष्ट्रीय ई-सेवा डिलिवरी आकलन से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा चुने हुए मंत्रालयों के सभी सेवा पोर्टलों का सात मापदंडों के आधार पर आकलन किया गया

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

था। एनईएसडीए 2021 में भी सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 1400 ई-सेवाओं का आकलन किया जिसमें 2019 की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सभी संभावित अनिवार्य ई-सेवाओं में से 69 प्रतिशत की डिलिवरी की जबकि 2019 में 48 प्रतिशत सेवाओं की डिलिवरी हुई थी। नागरिकों की संतुष्टि 74 प्रतिशत दर्ज की गई।

सचिवालय सुधार

सरकार ने निर्णय प्रक्रिया में कुशलता बढ़ाने की पहल के जरिए सचिवालय सुधार लागू किए जिनमें वित्तीय अधिकार सौंपने, ई-ऑफिस व्यवस्था अपनाने और विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता को संस्थागत रूप देने तथा बकाया काम कम से कम रखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।

कार्यालय प्रक्रिया 2022 के केंद्रीय सचिवालय में मेन्युएल में निर्णय प्रक्रिया को और चुस्त बनाने और बकाया मामले निपटाने का विशेष अभियान चलाने की पहलें शामिल की गई हैं जिससे केंद्रीय सचिवालय के कामकाज में क्रांतिकारी सुधार लाया जा सके। विशेष अभियान 2.0 के तहत 2022 में 1,01,582 अभियान स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था जिसमें 64.92 लाख फाइलों की छंटनी करके 37.27 लाख फाइलें खत्म कर दी गईं तथा 4.56 लाख शिकायतों का निपटान किया गया, सांसदों के 8998 संदर्भों का उत्तर दिया गया था तथा 890 नियमों को सरल बनाया गया। केंद्रीय सचिवालय में ई-फाइल व्यवस्था 89.96 प्रतिशत अपनाई जा चुकी है और जून, 2023 में सामान्य फाइलों की संख्या 7.17 लाख थी।

चिंतन शिविर

चिंतन शिविर में प्रशासन के ऐसे भावी मॉडल का प्रारूप तय किया गया जो 'कर्तव्य काल' में दूरगामी प्रशासनिक सुधारों को अपनाए। 2023 में चिंतन शिविर की धारणा को काफी गति मिली है और ऐसा मंत्रिपरिषद में हुई इस मंत्रणा के बाद संभव हुआ कि प्रत्येक मंत्रालय को आंतरिक और इन-हाउस विचार-विमर्श करके अपने शिकायत निवारण मॉडलों की समीक्षा करनी चाहिए।

सिविल सेवा दिवस

भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के सभी सिविल सेवा अधिकारी नागरिकों के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराते हैं तथा जन सेवा और काम में उत्कृष्टता बनाये रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। 2015 के बाद से सिविल सेवा दिवस के आयोजन दो दिन चलते हैं- 20 अप्रैल को प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी पूर्ण खुले अधिवेशनों में सम्मेलन के विषयों पर चर्चाएं करते हैं और 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करते हैं तथा देश के सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हैं। 2023 के सिविल सेवा दिवस पर सम्मेलन का विषय था: 'विकसित भारत-नागरिक सशक्तीकरण और अंतिम छोर तक पहुंच।' इसके तहत 2 पूर्ण सत्र और 4 ब्रेकअवे सत्र आयोजित किए गए। सिविल सेवा दिवस आयोजनों का शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था। 21 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री ने 15 विजेताओं को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए और सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित किया। 2023 में 16वें सिविल सेवा दिवस आयोजनों में 26,000 से ज्यादा सिविल सेवा अधिकारियों ने भाग लिया जो एक रिकॉर्ड है।

लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार जिला, केंद्र और राज्य सरकारों/संगठनों द्वारा किए विशेष असाधारण और

नवाचार-आधारित कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। इस पुरस्कार योजना को 2015-16 में नया रूप दिया गया और चुने हुए प्राथमिकता कार्यक्रमों को लागू करने में उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। 2021 में प्रधानमंत्री ने इस योजना की स्वयं समीक्षा की और उसी के आधार पर इस योजना में रचनात्मक स्पर्धा, नवाचार, अनुकरण और श्रेष्ठ प्रणालियां अपनाकर अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देने की भावना अपनाई जा रही है। इस नवगठित योजना के तहत 2022 में प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2022 के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अब तक के सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुए। 743 जिलों ने प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2022 के लिए 2520 नामांकन भेजे और इस प्रकार देश के 97 प्रतिशत जिले इस योजना में शामिल हुए।

2022 की पुरस्कार योजना में हर घर जल योजना से स्वच्छ जल पहुंचाने, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ भारत योजना को बढ़ावा देने, समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने, आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम के जरिये समग्र विकास करने तथा केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और जिलों के लिए नवाचार श्रेणियां निर्धारित करने पर विशेष बल दिया गया है। पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री ने दो ई-कॉफी टेबुल पुस्तकों का विमोचन किया, ये हैं- 'विकसित भारत-नागरिक सशक्तीकरण और अंतिम छोर तक पहुंच' और इनमें चुने हुए प्राथमिकता कार्यक्रमों तथा नवाचारों से जुड़ी सफलता की कहानियां संकलित की गई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार वितरण किए जाने से पहले पुरस्कृत पहलों के बारे में फिल्म भी दिखाई गई थी।

सरकार ने निर्णय प्रक्रिया में कुशलता बढ़ाने की पहल के जरिए सचिवालय सुधार लागू किए जिनमें वित्तीय अधिकार सौंपने, ई-ऑफिस व्यवस्था अपनाने और विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता को संस्थागत रूप देने तथा बकाया काम कम से कम रखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।

सुशासन प्रक्रियाओं का चित्रण

सरकार ने पुरस्कार जीतने वाले नामांकनों को प्रसारित-प्रचारित करने और उनसे प्रेरणा लेने पर जोर देने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। 2014 के बाद से राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से सुशासन प्रक्रियाओं के बारे में 23 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और हर सम्मेलन में 30 से अधिक श्रेष्ठ प्रक्रियाएं प्रस्तुत की गई हैं। 2022 के बाद से मासिक आधार पर 16 राष्ट्रीय सुशासन वेबीनार आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 32 प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं ने अपनी सफल पहलों को प्रस्तुत किया। संसद टीवी पर अभिनव पहल शृंखला के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले 15 विजेताओं ने लाभार्थियों के साथ अपनी सफल पहलों के बारे में चर्चा की थी।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मलेन और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

भारत सरकार किसी एक राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश सरकार के साथ हर वर्ष ई-गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित करती है। अभी तक ऐसे 25 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन हो चुके हैं। जम्मू-कश्मीर के कटरा में आयोजित 25वें ई-गवर्नेंस सम्मेलन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, उद्योग, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के अधिकारीगण शामिल थे। सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें देश के पुरस्कारों और अन्य विशिष्ट प्रक्रियाओं को 'वॉल ऑफ फेम' शीर्षक से दर्शाया गया था। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के उन विचारों से प्रेरणा ली गई थी जिनमें उन्होंने प्रशासन और न्याय देने की प्रक्रिया के लाभ सबसे गरीब वर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली वंचित महिलाओं तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री का भारत में टेकेड लाने का सपना जोरदार डिजिटल प्रशासन को पूरी तेजी से लागू करके ही साकार किया जा सकता है। सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि देश के नागरिकों तक किफायती और अंतर-संचालित टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से खुले डिजिटल प्लेटफॉर्म में जबरदस्त तेजी लाकर सार्थक और रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। 25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का जम्मू-कश्मीर सरकार के ई-गवर्नेंस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा वहां तीन वर्ष की अवधि में ही ई-सेवाओं की संख्या 15 से बढ़कर 450 पर पहुंच गई। यह सफलता उल्लेखनीय है। जनवरी, 2023 में मुम्बई में आयोजित क्षेत्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार को नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों का प्रारूप तैयार करने में मदद मिली।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां आगे बढ़ाने और समावेशी राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से समय की कसौटी पर खरी प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार के लिए 2014 से 2023 की अवधि में नई पीढ़ी के अनेक प्रशासनिक सुधार अपनाए हैं। विज़न इंडिया@2047 डिजिटल संस्थानों के निर्माण से ही संभव है जिनमें नागरिकों के लाभ के लिए हजारों सेवाओं का समावेशी इंटरनेट इकोसिस्टम तैयार करने में 6-जी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा सकती है जिससे सुरक्षित कनेक्टिविटी और स्पीड की गारंटी हो जाएगी। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

महिला सशक्तीकरण
हाल के सुधार

रेखा शर्मा | अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली। ईमेल: chairperson-ncw@nic.in

हिंसा का मुकाबला करना, बाल विवाह को समाप्त करना, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना, भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग-उत्तरदायी गणन योजना लागू करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को शामिल करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हाल ही में जारी की गई हैंडबुक लैंगिक-न्यायपूर्ण क़ानूनी व्यवस्था की दिशा में खोज को एक नई गति प्रदान करेगी।

समाज में महिलाओं की भूमिका की केंद्रीयता को देखते हुए, अब यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने से एक व्यक्ति सशक्त होता है, लेकिन एक महिला को सशक्त बनाने से पूरी पीढ़ी सशक्त होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग हर स्तर पर लैंगिक असमानता की कहानी को बदलने और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है जहां हर किसी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर मिले। यह भारत सरकार की दूरदृष्टि और नीति के अनुरूप है। आयोग महिलाओं के लिए भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध सभी कानूनी अधिकारों, प्रतिबद्धताओं, गारंटी और सुरक्षा उपायों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है।

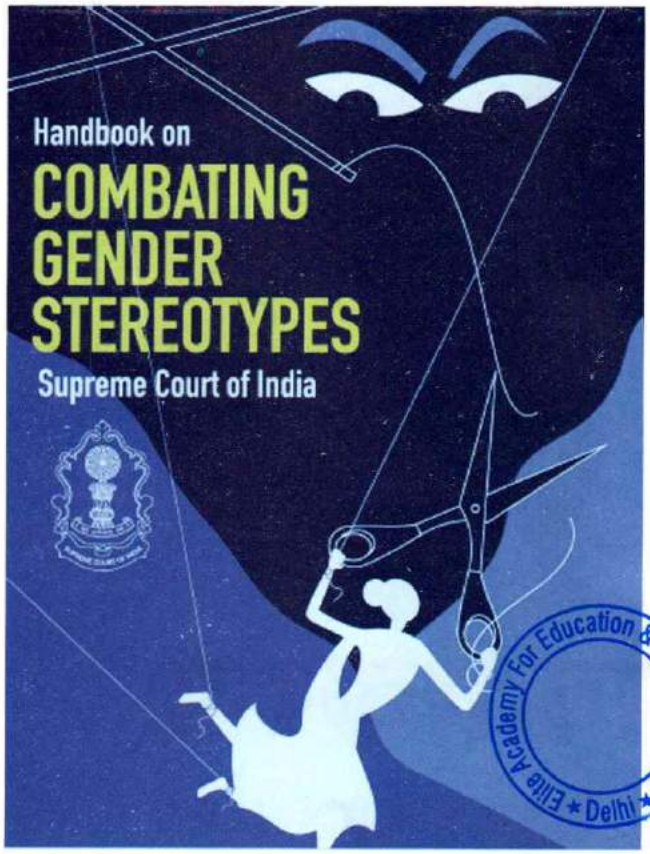

महिलाओं को समान हितधारकों के रूप में सशक्त बनाने, घरेलू और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को संबोधित करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और इक्कीसवीं सदी में उनके प्रभाव को बढ़ावा देने पर समर्पित ध्यान के साथ, वर्तमान सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। कल्याणकारी और वित्तीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ नए कानूनों के संशोधन और अधिनियमन के माध्यम से, सरकार ने भारतीय महिलाओं को एक दुर्जेय शक्ति में बदलने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इस प्रतिबद्धता का उदाहरण दस कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ तीन संशोधनों की शुरुआत और चार नए कानूनों के पारित होने से मिलता है, जिन्होंने महिलाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।

लैंगिक असमानता

महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा, भेदभाव और अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना दुनिया भर में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। प्रदान किए गए आंकड़े महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सामाजिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सरकारों और समाजों ने व्यापक कानूनी ढांचों, जागरुकता अभियानों को बढ़ाने और हादसों का सामना कर जीवित बचे लोगों के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हेल्पलाइन, सुरक्षित घरों और परामर्शी कार्यक्रम जैसी पहल पीड़ितों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं और हिंसाचक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं।

बाल विवाह को ख़त्म करना

बाल विवाह की निरंतरता लड़कियों से उनका बचपन, शिक्षा और भविष्य की संभावनाएं छीन लेती है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और कम उम्र में विवाह के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरुकता बढ़ाने जैसे कानूनों को लागू करने और प्रवर्तन में लाने के प्रयासों पर ज़ोर देना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी, लक्षित हस्तक्षेप और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम लड़कियों और उनके परिवारों को सूचित विकल्प चुनने और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

राजनीतिक सशक्तीकरण

प्रगति के बावजूद, राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारों ने कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियां अपनाई हैं। राजनीतिक दलों को अधिक महिला उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करना, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना

पिछले 10 वर्षों में भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाना)
- बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019
- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2020
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

राष्ट्रीय संसदों और स्थानीय सरकारों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण

रोजगार में लैंगिक अंतर से निपटना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। सरकारों और व्यवसायों को समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल नीतियां स्थापित करनी चाहिए, और महिलाओं के लिए वित्त और उद्यमिता प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और रोज़गार की उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने से कार्यक्षेत्रों में अधिक लैंगिक समानता लाने में योगदान मिलेगा।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार

महिलाओं की स्वायत्तता और भलाई के लिए व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकारों को जहां कानूनी हो वहां व्यापक यौन शिक्षा, परिवार नियोजन सेवाओं और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने से अनपेक्षित गर्भधारण में कमी आएगी और महिलाओं को अपने शरीर और भविष्य के बारे में जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जाएगा।

सरकारों और समाजों ने व्यापक कानूनी ढांचों, जागरुकता अभियानों को बढ़ाने और हादसों का सामना कर जीवित बचे लोगों के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हेल्पलाइन, सुरक्षित घर और परामर्श कार्यक्रम जैसी पहल पीड़ितों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं और हिंसाचक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं।

भूमि अधिकार

महिलाओं के भूमि स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा करना उनके आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र कल्याण के लिए मौलिक है। सरकारों को ऐसा कानून बनाना और लागू करना चाहिए जो भूमि, संपत्ति अधिकार और विरासत कानूनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करे। भूमि स्वामित्व प्रणालियों को मजबूत करना, कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं के भूमि स्वामित्व जागरुकता अभियानों को बढ़ावा देना लैंगिक समानता और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक है।

लिंग आधारित बजट

लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए, देशों को लैंगिक समानता पहल के लिए सार्वजनिक आवंटन पर नज़र रखने के लिए व्यापक प्रणाली स्थापित

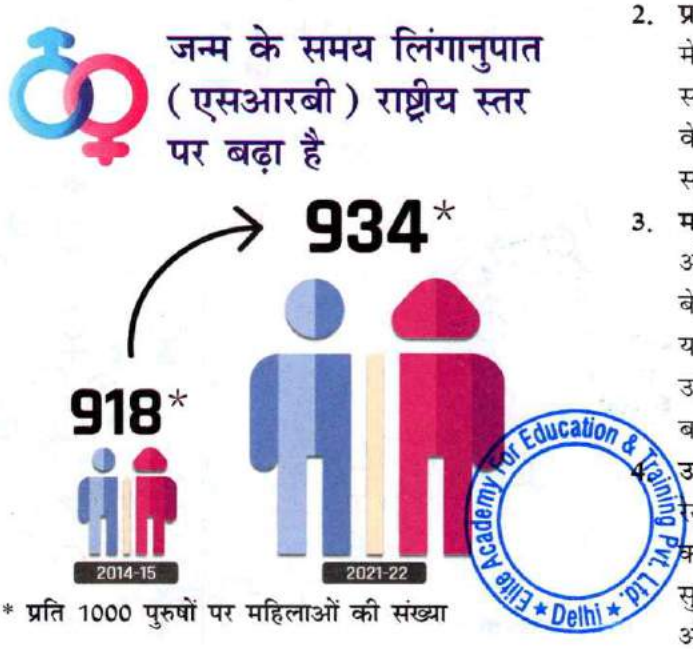

करनी चाहिए। सरकारों को महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए और इन निवेशों की प्रभावशीलता की निगरानी करनी चाहिए। पारदर्शी और जवाबदेह प्रणालियां लैंगिक समानता लक्ष्यों की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करेंगी।

प्रदान किए गए आंकड़े वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक सामाजिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। हिंसा का मुकाबला करना, बाल विवाह और महिला जननांग विकृति को समाप्त करना, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना, भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग-उत्तरदायी गणना लागू करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को शामिल करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बना सकते हैं।

1. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।
2. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** 2017 में शुरू की गई, यह मातृत्व लाभ योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. **महिला ई-हाट:** यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों और कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने की सुविधा के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। यह महिलाओं को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल बाज़ार प्रदान करता है।
4. **उज्ज्वला योजना:** 2016 में शुरू की गई यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, आंतरिक या घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को सक्षम करके उन्हें सशक्त बनाना है।
5. **स्टैंड अप इंडिया:** 2016 में शुरू की गई यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करता है।

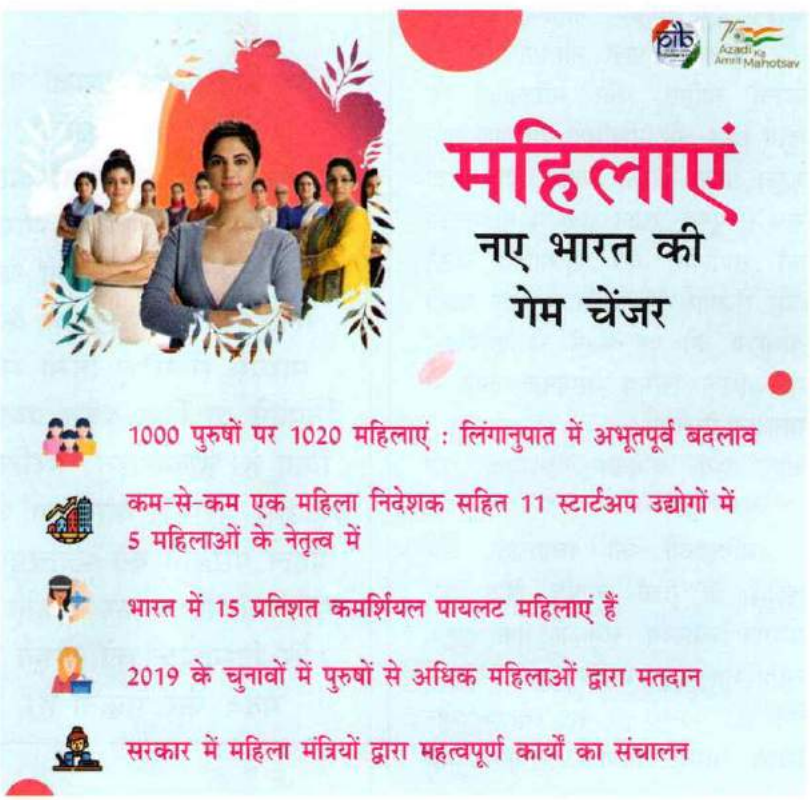

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

6. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि 2015 में शुरू की गई इस कौशल विकास योजना का उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-विकास पाठ्यक्रमों की पेशकश करके कई महिलाओं को लाभान्वित किया है। महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले दशक में लागू की गई सरकारी योजनाओं के ये कुछ उदाहरण हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर कई अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हैं।

ये केवल पिछले दशक में लागू किए गए सुधारों के कुछ उदाहरण हैं। पिछले 10 वर्षों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कानून, सामाजिक कार्यक्रमों और जागरुकता अभियानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं:

1. **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया अधिनियम):** यह संशोधन 2013 में पारित किया गया था, जिससे यौन अपराधों से संबंधित कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण संबंधित पहलों का समर्थन करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। इस फंड का उपयोग वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन स्थापित करने और महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया गया है।
2. **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** यह संशोधन 2017 में लागू किया गया था, जिससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। यह सुधार मातृ स्वास्थ्य और बच्चे के साथ जुड़ाव के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के महत्व को दर्शाता है।
3. **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019:** यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह संशोधन 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत में मुस्लिम पुरुषों के तत्काल तीन तलाक (तलाक) की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। इस सुधार का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और व्यक्तिगत कानूनों के भीतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।
4. **मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण)** अधिनियम, 2019, हालांकि समग्र रूप से महिलाओं के लिए विशिष्ट नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक (तलाक) के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्षों के भीतर पारित एक महत्वपूर्ण संशोधन था।
5. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)** अधिनियम, 2013: यह अधिनियम यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक समितियों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

इन सुधारों ने भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना जारी रखना महत्वपूर्ण है जो जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से कायम रखे और उनका सम्मान करे। ❑

भारत 2023

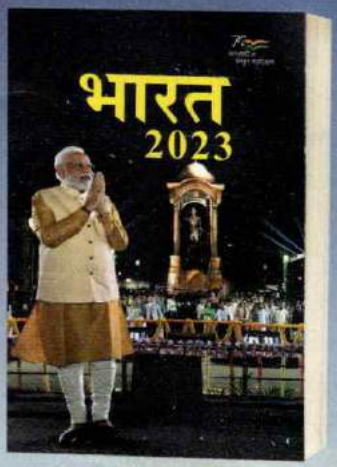

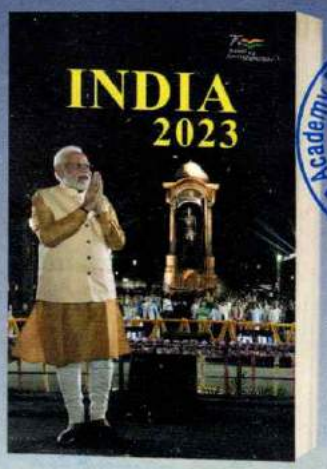

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

@publicationsdivision @DPD_India @dpd_India

हमारी पत्रिकाएं

योजना YOJANA কুরুক্ষেত্র Kurukshetra

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**" के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन" या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है- **संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रकाशन विभाग

परीक्षा तैयारी

के लिए

हमारा संग्रह

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

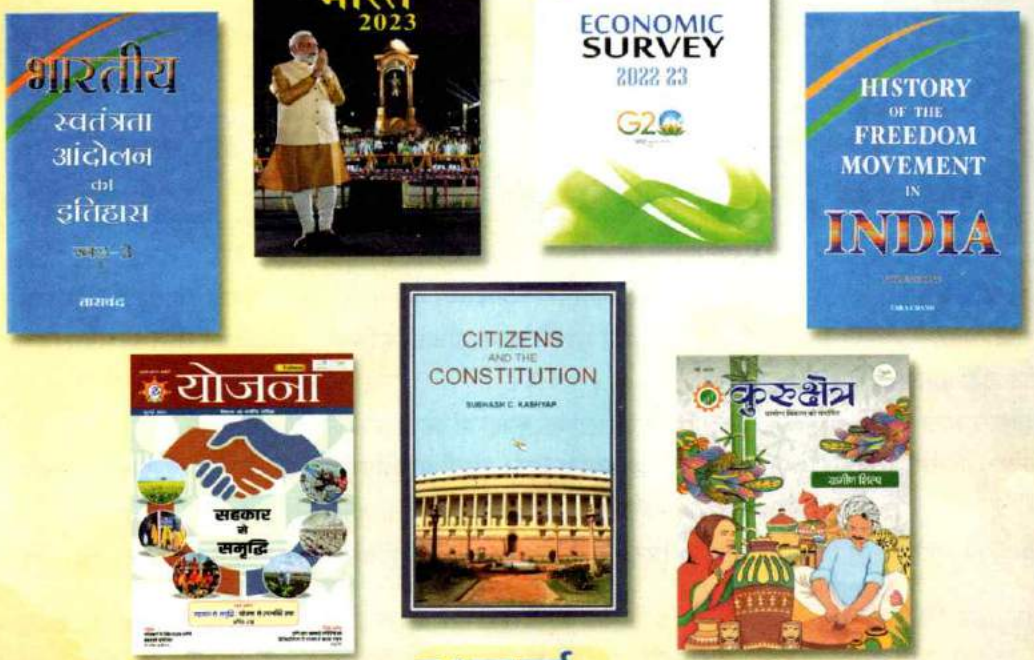

व अन्य कई ...

रोज़गार संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण के लिए हर सप्ताह पढ़ें रोज़गार समाचार

सब्सक्राइब करें : www.employmentnews.gov.in

खरीदने के लिए : www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें:

पुस्तकों के लिए :	✉	businesswng@gmail.com	✆ 01124365609
पत्रिकाओं के लिए:	✉	pdjucir@gmail.com	✆ 01124367453

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और गणितीय विज्ञान सहित पृथ्वी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नए अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। यह विधेयक मानविकी और सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक और तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देगा ताकि इस तरह के अनुसंधान या उससे सम्बंधित मामलों को बढ़ावा देने, उनकी निगरानी करने और आकस्मिक जरूरत पड़ने पर आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जा सके।

इस विधेयक से देश में अनुसंधान एवं विकास की लागत में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद न केवल विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी बल्कि यह विभिन्न स्तरों पर किये गए खर्च की जवाबदेही का विश्लेषण भी करेगी।

यह अधिनियम राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को नई दिशा देने के साथ ही उसके विकास और प्रोत्साहन में सहायक होगा और इससे भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा।

इस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार देश में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा तय करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसे शीर्ष संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों (2023-28) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये होगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत कार्य करेगा और इसका प्रशासनिक कार्य एक संचालन बोर्ड करेगा। इस बोर्ड में विभिन्न विषयों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। चूंकि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का दायरा बहुत व्यापक है और यह सभी मंत्रालयों को प्रभावित करता है इसलिए प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। फाउंडेशन का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित किया होगा।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023

युवाओं के लिए नई दिशा विकसित करना

प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि में नए अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, शैक्षणिक समुदाय, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। फाउंडेशन वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए एक ऐसा तंत्र तैयार करेगा जो उनके काम को सुगम बना सके। यह एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

इस अधिनियम से 2008 में संसद में पारित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) अधिनियम निरस्त हो जाएगा और इसे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में शामिल कर देगा, जिससे इसका दायरा काफी विस्तृत हो जाएगा और यह अधिनियम एसईआरबी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों को भी कवर करेगा। ❑

स्रोत : पीआईबी